मुस्लिम वक्फ़ विधि

विषय-सूची

वक्फ़ अधिनियम, 1995

प्रस्तावना

अध्याय 1. प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. अधिनियम की प्रयोज्यता
3. परिभाषायें

अध्याय 2. ओकाफ़ का सर्वेक्षण

4. ओकाफ़ का प्रारम्भिक सर्वेक्षण
5. वक्फ़ सूची का प्रकाशन
6. वक्फ़ के सम्बन्ध में विवाद
7. ओकाफ के सम्बन्ध में विवाद विनिश्चित करने के बाबत अधिकरण की शक्ति

अध्याय 3. केन्द्रीय वक्फ़ परिषद

9. केन्द्रीय वक्फ़ परिषद की स्थापना तथा गठन
10. परिषद का वित्त
11. हिसाब एवं अंकेक्षण
12. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

अध्याय 4. बोर्डो की स्थापना एवं उनके कार्य

13. निगमन
14. बोर्ड की संरचना
15. पदावधि
16. बोर्ड के सदस्य के रूप में जारी रहने वाली अथवा नियुक्त होने के लिए निर्योग्यता
17. बोर्ड की मीटिंग
18. बोर्ड समिति
19. अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग-पत्र
20. अध्यक्ष औश्र सदस्यों को हटाया जाना
20क. हटाने की प्रक्रिया

21. पद को भरा जाना
22. रिक्तियाँ, इत्यादि, बोर्ड की कार्यवाही को अवैधानिक बनाने के लिए नहीं

23. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी कार्यालय की कालावधि तथा सेवा की अन्य शर्ते
24. बोर्ड के अधिकारीगण और कर्मचारीगण
25. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य एवम् शक्तियाँ
26. बोर्ड के आदेशों या संकल्प के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ
27. बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
28. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कलेक्टर आदि के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करना
29. अभिलेखों, रजिस्टरों आदि का निरिक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ
30. अभिलेखों का निरीक्षण
31. संसद की सदस्यता के लिए निर्योग्यता का निवारण
32. बोर्ड की शक्ति एवम् कृत्य
33. मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण की शक्ति
34. धारा 33 के अधीन अवधारित की गयी रकम की वसूली
35. अधिकरण द्वारा सशर्त कुर्की

अध्याय 5. वक्फ़ का पंजीकरण

36. पंजीकरण
37. वक्फ़ का रजिस्टर
38. बोर्ड की कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्तियाँ
39. वक्फ़ों के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियाँ जो अस्तित्वहीन हो गयी है
40. सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है, का निर्णय
41. वक्फ़ पंजीकरण एवं रजिस्टर संशोधन करने की शक्ति
42. ओकाफ के प्रबंधन में परिवर्तन की अधिसूचना करना
43. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत ओकाफ रजिस्ट्रीकृत समझे जाएंगें

अध्याय 6. ओकाफ खातों का हिसाब रखना

44. बजट
45. बोर्ड के प्रत्यक्ष के अधीन वक्फ़ के बजट का तैयार किया जाना
46. वक्फ़ों के खातों की प्रस्तुति
47. वक्फ़ खातों का अंकेक्षण
48. अंकेक्षण रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करना
49. प्रमाणित देय राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने योग्य
50. मुतवल्ली के कर्त्तव्य
51. बोर्ड की अनुज्ञा के बिना वक्फ़ सम्पत्ति का अन्य संक्रामण शून्य होगा
52. धारा 51 के उल्लंघन में अंतरिम की गयी वक्फ़ की सम्पत्ति की वसूली
52क
53. वक्फ़ की ओर से सम्पत्ति क्रय पर प्रतिबन्ध
54. वक्फ़ सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना

55. धारा 54 के अन्तर्गत दिये गये आदेश को प्रभावी करना अनाधिकृत अधिपत्याधिकारियों द्वारा वक्फ़ सम्पत्ति पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निराकरण
56. वक्फ़ सम्पत्ति पट्टे पर देने की शक्तियों पर प्रतिबन्ध
57. वक्फ़ सम्पत्ति की आय से निश्चित लागत भुगतान का मुतवल्ली अधिकारी होना
58. मुतवल्ली द्वारा चूक करने के मामले में देयकों को भुगतान करने की बोर्ड की शक्ति
59. आरक्षित कोष का सृजन
60. समय का विस्तार
61. जुर्माना
62. मुतवल्ली द्वारा उसकी स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए वक्फ़ से संबंधित किसी राशि को व्यय न किया जाना
63. कुछ मामलों में मुतवल्ली नियुक्त करने की शक्ति
64. मुतवल्ली का हटाया जाना
65. बोर्ड द्वारा कुछ वक्फ़ों का प्रत्यक्ष प्रबंधन ग्रहण करना
66. मुतवल्ली को नियुक्त करने एवं हटाने की शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा कब प्रयोग किया जाए
67. प्रबन्ध कमेटी का अधीक्षण एवं अधिक्रमण
68. मुतवल्ली अथवा कमेटी का अभिलेख आदि का आधिपत्य परिदान करने का कर्तव्य
69. वक्फ़ के प्रसासन के लिए स्कीम बनाने में बोर्ड की शक्ति
70. वक्फ़ के प्रशासन से संबंधित जांच
71. जाँच करने के ढंग

अध्याय 7. बोर्ड का वित्त

72. बोर्ड को भुगतान योग्य वार्षिक अंशदान
73. संदाय करने के लिए बैंक या दूसरे व्यक्ति को निर्देश देने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति
74. वक्फ़ को भुगतान योग्य स्थाई वार्षिकी से भुगतान योग्य अंशदान में कटौती
75. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति
76. मुतवल्ली द्वारा बिना अनुज्ञा के उधार न दिया जाना या उधार न लिया जाना
77. वक्फ़ कोष
78. बोर्ड का बजट
79. बोर्ड के खाते
80. बोर्ड के खातों का अंकेक्षण
81. अंकेक्षण की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना
82. बोर्ड को देय राशि बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल योग्य

अध्याय 8. न्यायिक कार्यवाही

83. अधिकरणों आदि का गठन
84. अधिकरण द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना एवं इसके निर्णय की प्रतिलिपियाँ पक्षकारों को प्रदान करना

85. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन
86. कुछ मामलों में रिसीवर की नियुक्ति
87. अपंजीकृत वक्फ़ की ओर से अधिकार प्रवर्तन का वर्जन
88. किसी अधिसूचना आदि को चुनौती देने का वर्जन
89. बोर्ड के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा वाद का सूचना पत्र
90. वादी आदि को न्यायालय द्वारा सूचना
91. 1894 के अधिनियम 1 के अधीन कार्यवाही
92. वाद या कार्यवाही में बोर्ड को पक्षकार बनाया जाना
93. मुतवल्ली द्वारा अथवा इसके विरुद्ध वादों में समझौते का वर्जन
94. मुतवल्ली द्वारा उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के मामले में न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति
95. विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अपील ग्रहण करने की अपील प्राधिकारी की शक्ति

अध्याय 9. विविध

96. वक्फ़ की पंथ निरपेक्ष गतिविधियाँ विनियमित करने की केन्द्र की शक्तियाँ
97. राज्य सरकार द्वारा निर्देश
98. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट
99. बोर्ड को अधिक्रान्त करने की शक्ति
100. सदभावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण
101. बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्त, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होने के रूप में समझा जाना
102. कुछ बोर्डों के पुनर्गठन के लिये विशेष प्रावधान
103. राज्य के भाग में बोर्ड की स्थापना के लिये विशेष प्रावधान
104. किसी वक्फ़ के समर्थन के लिये गैर इस्लामी व्यक्ति द्वारा दी गई अथवा दान दी गई संपत्ति पर अधिनियम की प्रयोज्यता
105. दस्तावेजों आदि की प्रति-लिपियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ
106. कामन बोर्ड गठन की केन्द्र सरकार की शक्ति
107. वक्फ़ की संपत्ति की वसूली के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना
108. निष्क्रान् वक्फ़ संपत्ति बाबत विशेष प्रावधान
109. नियम बनाने की शक्ति
110. बोर्ड द्वारा विनियम बनाने की शक्ति
111. राज्य विधान मण्डल के समक्ष नियमों और विनियमों का रखना
112. निरसन और व्यावृत्तियाँ
113. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

_ _ _ _ _

मुस्लिम वक्फ़ विधि

(1995 का अधिनियम सं. 43)

(वक्फ़ (संशोधन अधिनियम सन् 2013 अनुसार अद्यतन संशोधित)

वक्फ़ और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक मामलों के अच्छे प्रशासन को उपबंधित करने हेतु अधिनियम|

भारतीय गणतन्त्र के छियालीसवें वर्ष में यह संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो-

प्रस्तावना - 'वक्फ़' का शाब्दिक अर्थ रोक रखना होता है| जबकि वक्फ़ अधिनियम, 1995 के अनुसार, इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति का मुस्लिम विधि के अन्तर्गत धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिए किया गया स्थायी समर्पण 'वक्फ़' कहलाता है| ' अल्लाह में निहित' वक्फ़ सम्पत्ति का अधीक्षक मुतवल्ली कहलाता है| वक्फ़ को निष्पादन करने वाले व्यक्ति को वाकिफ़ कहते हैं| वक्फ़ दो प्रकार के होते हैं, यथा: (1) लोक वक्फ़; एवं निजी वक्फ़ (वक्फ़-अलल-औलाद)| उल्लेखनीय है कि किसी वयस्क और स्वस्थचित्त वाले व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है| एक वक्फ़ सम्पत्ति के दो या दो से अधिक मुतवल्ली नियुक्त किये जा सकते हैं| यदि मुतवल्ली गैर-मुसलमान व्यक्ति या स्त्री या वाकिफ के वंशज व्यक्ति हो तो भी प्रतिबंध नहीं है|

हालांकि वक्फ़ के माध्यम से वक्फ़ सम्पत्ति सर्वशक्तिमान अल्लाह में निहित हो जाती है, लेकिन इसका उपयोग अल्लाह के बन्दों के लाभार्थ एवं हितार्थ धार्मिक, पवित्र अथवा खैराती प्रयोजनार्थ किया जाता है| वक्कू करने के पश्चात् वाकिफ के समस्त अधिकार निर्वापित हो जाते हैं और उन सभी अधिकारों का अन्तरण अल्लाह के नाम से शाश्वत रूप से हो जाता है| वक्फ़ चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का किया जा सकता है| वक्फ़ बिना किसी शर्त का समर्पण है|

वक्फ़ का उद्देश्य युक्तियुक्त: निश्चित होना चाहिये| अवैध उद्देश्यों के लिए दी गयी सम्पत्ति वाकिफ को वापिस हो जायेगी| वक्फ़ सम्पत्ति तो ट्रस्ट की हो जाती है, जबकि मुतवल्ली अल्लाह में निहित वक्फ़ सम्पत्ति के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्पत्ति का प्रबन्ध, संरक्षण, देखभाल, व्यवस्था और अधीक्षण करता है|

मुस्लिम कानूनों की श्रृंखला में वक्फ़ विधि एक महत्वपूर्ण कड़ी है| इसका सम्बन्ध मुसलमानों की समस्त धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है| वक्फ़ विधि पैगम्बर मोहम्मद द्वारा स्थापित सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यही है कि वक्फ़ का लाभ मानव जाति को मिले|

वक्फ़ मौखिक या लिखित रूप से निर्मित किया जा सकता है| लिखित वक्फ़ निर्मित किये जाने की दशा में उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत, आवश्यक हो जाता है| यदि वक्फ़ ऐसी अचल सम्पत्ति का है जिसका मूल्य 100 रु. या इससे अधिक रुपये हों तो पंजीकरण आवश्यक होगा|

इस विषय वस्तु पर हाल ही में, वक्फ़ अधिनियम. 1995 (सन् 1995 का अधिनियम संख्यांक 43), को रचित किया गया, जो 22 नवम्बर, 1995 से लागू किया गया| वक्फ़ और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक मामलों के अच्छे प्रशासनिक को उपवधित करने हेतु इस अधिनियम की संरचना की गयी है| इसके पूर्व भी इसी विषय पर समय-समय पर अधिनियम और संशोधन अधिनियम पारित किये गये थे|

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ. - (1) इस अधिनियम को [1]ओकाफ अधिनियम, 1995 कहा जा सकेगा|

(2) इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा|

(3) राज्य में यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रवृत होगा जो क्चेयि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बाबत राज्य के लिए नियुक्त करती है एवं एक राज्य में विभिन्न भागों तथा विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न दिनांक नियुक्त कर सकती है एवम् इस अधिनियम के आरम्भ होने के किसी प्रावधान के किसी निर्देश. किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में. उस प्रावधान के उस राज्य या क्षेत्र में आरम्भ होने के अर्थ में लगाया जायेगा|

2. अधिनियम की प्रयोज्यता.- जहाँ इस अधिनियम में व्यक्त रूप से अन्यथा प्रावधानित किया गया है उसके अलावा यह अधिनियम सभी ओकाफ को चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् सृजित हो प्रयोज्य होता है:

परन्तु यह अधिनियम दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर जिसको कि दरगाह ख्वाजा अधिनियम, 1955 (1953 का 3 हवा प्रयोज्य होता है पर प्रयोज्य नहीं होगा|

3. परिभाषायें.- इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "**हिताधिकारी**" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या उद्वेश्य से है जिसके लाभ के लिए वक्क का सृजन किया जाता है एवं धार्मिक, पवित्र एवं खैराती उद्वेश्य से एवं अन्य लोक उपयोगिता के उद्देश्य जो मुस्लिम विधि द्वारा अनुमोदित हो, सम्मिलित है;

(ख) "**लाभ**" में ऐसा कोई लाभ सम्मिलित नहीं है, जिसे, मुतवल्ली, उसका मुतवल्ली मात्र होने के कारण दावा करने का अधिकारी है;

(ग) "**बोर्ड**" उप- धारा (1) के अधीन या यथास्थिति, धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित किये गये वक्फ़ बोर्ड से अभिप्रेत है और इसमें धारा 106 के अधीन स्थापित किया गया सामान्य वक्फ़ बोर्ड सम्मिलित होगा;

(घ) "**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**" धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिप्रेत है;

(ङ) "**परिषद**" धारा 9 के अधीन स्थापित किये गये केन्द्रीय वक्फ़ परिषद से अभिप्रेत है;

2(इइ) अतिक्रामक से अभिप्रेत है व्यक्ति या संस्था, शासकीय या निजी जो वक्फ़ संपत्ति पूरे या आंशिक हिस्से में बिना किसी विधिक अधिकार के है एवं उसमें वे सम्मिलित हैं जिनकी किरायेदारी, पट्टा या अनुज्ञा का अवसान हो चुका है या मंडल अथवा मुतवल्ली द्वारा मुक्त की जा चुकी है,"

(च) "**कार्य पालक अधिकारी**" धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये कार्य पालक अधिकारी से अभिप्रेत है;

2(छ)"वक्फ़ की सूची से अभिप्रेत है धारा 37 के अंतर्गत रखी जाने वाली पंजी में सम्मिलित या धारा (5) की उपधारा (2) अंतर्गत प्रकाशित ओकाफ की सूची"

(ज) **"सदस्य"** बोर्ड के सदस्य से अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष व्यक्ति भी सम्मिलित होता है;

(झ) **"मुतवल्ली"** या तो मौखिक तौर पर या किसी विलेख या लिखत के अधीन जिसके द्वारा इस वक्फ़ का सृजन किया गया है या एक वक्फ़ का मुतवाला होने के रूप, एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति जो किसी रुचि के कारण मुतवल्ली है या जो नायब मुतावल्ली खादिम, मुजावर, सज्जदानशी, अमीन, अथवा मुतवल्ली द्वारा मुतवल्ली के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति से है और इस अधिनियम में जैसा उपबंध किया गया है, के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी वक्फ़ या वक्फ़ सम्पत्ति का प्रबन्ध करने वाला या उसे प्रशासित करने वाले किसी भी व्यक्ति समिति या निगम से अभिप्रेत है;

परन्तु समिति या निगम का कोई भी सदस्य तब तक एक मुतवल्ली नही समझा जायेगा जब तक इस प्रकार का सदस्य, ऐसे समिति या निगम का पदाधिकारी नहीं है|

[3]परन्तु आगे यह भी कि मुतवल्ली को भारतीय नागरिक होना चाहिए एवं ऐसी अन्य विनिर्धारित ऐसी अन्य योग्यताओं की पूर्ति करना चाहिए|

परन्तु यह भी कि जब वक्फ़ द्वारा यदि योग्यताएँ निधारित की जाती हँ, तो ऐसी योग्यताओं को राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित नियमों में प्रावधानित किया जाना चाहिए।

(ञ) वक्फ़ के सम्बन्ध में, **"शुद्ध वार्षिक आय"** धारा 72 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार अवधारित की गयी शुद्ध वार्षिक आय से अभिप्रेत है;

(ट) **"वक्फ़ में हितबद्ध व्यक्ति"** किसी ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो वक्फ़ से कोई आर्थिक या अन्य प्रसुविधाओं का प्राप्त करने का हकदार होता है और इसमें सम्मिलित होते है -

(1) कोई व्यक्ति जो मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खान-गाह, मकबरा या कब्रगाह या वक्फ़ से सम्बन्धित किसी अन्य धार्मिक संस्था में पूजा करने या कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अधिकार रखता है या वक्फ़ अधिनियम के अधीन किसी धार्मिक या खैराती संस्था में भाग लेता है;

(2) वाकिफ़ एवं वाकिफ़ और मुतवल्ली का कोई वंशज;

(ठ) **"विहित"** सिवाय अध्याय III में, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है;

(ड) **"विनियम"** इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमनों से अभिप्रेत है;

(ढ) **"शिया वक्फ़"** शिया विधि द्वारा शासित एक वक्कू से अभिप्रेत है;

(ण) **"सुन्नी वक्फ़"** सुन्नी विधि द्वारा शासित एक वक्फ़ से अभिप्रेत है;

(त) **"सर्वेक्षण आयुक्त"** धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये वक्फ़ के सर्वेक्षण आयुक्त से अभिप्रेत है और धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन वक्फ़ों के किसी अतिरिक्त या सहायक आयुक्त भी शामिल होता है;

(थ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, **"अधिकरण"** उस क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकारिता रखने वाले, धारा 83 की उप-धारा (1) के अधीन गठित किये गये अधिकरण से अभिप्रेत है;

(द) **"वक्फ़"** पवित्र, धार्मिक, या खैतारत करने योग्य होने के रूप में मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोजन के लिए किसी चल या अचल सम्पत्ति का, इस्लाम को

मानने वाले एक व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित होते हैं-

(i) प्रयोगकर्ता द्वारा वक्फ़ लेकिन ऐसा वक्फ़, ऐसे सेशर की कालावधि के समाप्त हो जाने पर विचार किए बिना ही उपयोगकर्ता के मात्र कारण द्वारा एक वक्फ़ के रूप में होने से विरत हो जाएगा;

(ii) राजस्व अभिलेख में शामलात पट्टी, शामलात देह, जुमला मालकाना या अन्य किसी नाम से प्रविष्टि हो|

(iii) "अनुदान" पवित्र, धार्मिक या खैरात करे योग्य होने के रूप में मुस्लिम विधिद्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोजन के लिए मशरत-अल-खिदमत को सम्मिलित करने वाला; और

(iv) उस सीमा तक वक्फ़-अल-औलाद जिस तक सम्पति का समर्पण, पवित्र, धार्मिक या खैतारत करने योग्य होने के रूप में मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है;

और "वक्फ़" से ऐसा समर्पण करने वाले किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(ध) **"वक्फ़ विलेख"** ऐसे किसी विलेख या लिखत से अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक वक्फ़ का सृजन किया गया है और इसमें कोई ऐसा विधिमान्य पश्चात्वर्ती विलेख या लिखत भी सम्मिलित होता है जिसके द्वारा प्रारम्भिक समर्पण की किन्हीं शर्तो में परिवर्तन किया गया है;

(न) **"वक्फ़ कोष"** धारा 77 की उप-धारा (1) में रचित वक्फ़ कोष से अभिप्रेत है।

अध्याय-II

[1]ओकाफ़ का सर्वेक्षण

4. ओकाफ़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण.- (1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिये वक्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त एवं उतने अतिरिक्त अथवा सहायक सर्वेक्षण वक्फ़ आयु नियुक्त कर सकेगी जितने अधिनियम आरम्भ हो की दिनांक को राज्य में अस्तित्वयुक्त वक्फ़ संपत्ति के सर्वेक्षण किये जाने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

[2]"(1क) प्रत्येक राज्य सरकार उपधारा (1) में सन्दर्भित ओकाफ की सूची रखेगी एवं यदि ओकाफ का सर्वेक्षण वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2013 के प्रारम्भिक दिनांक के पूर्व नहीं किया गया है तो ऐसा सर्वेक्षण वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रारम्भिक दिनांक से एक वर्ष की अवधि ओकाफ का सर्वेक्षण पूर्ण करेगी।" ;

परन्तु जहाँ वक्फ़ के सर्वेक्षण हेतु आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है; तब ऐसी प्रारम्भिक दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर ओकाफ सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।"

(2) सभी अतिरिक्त एवं सहायक सर्वेक्षण वक्फ़ आयुक्त, इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यो को वक्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत करेंगे।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त ऐसी जाँच करने के उपरात जो वह आवश्यक समझता है, राज्य में या इस के किसी भाग में इस अधिनियम के आरंभ होने की दिनांक को अस्तित्वयुक्त वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जिसमें निम्न विवरण अन्तर्निहित होगा, नामत:-

(क) राज्य में वक्फ़ की संख्या, शिया वक्फ़ एवं सुन्नी वक्फ़ को पृथकतः दर्शाते हुए;

(ख) प्रत्येक वक्फ़ की प्रकृति एवं उद्देश्य;

(ग) प्रत्येक वक्फ़ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय;

(घ) प्रत्येक वक्फ़ के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व उपकर दर एवं कर की राशि;

(ङ) आय वसूली में हुए व्यय एवं प्रत्येक वक्फ़ के मुतवल्ली का वेतन एवं अन्य पारिश्रमिक; एवं

(च) प्रत्येक वक्फ़ के सम्बन्ध में ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।

(4) सर्वेक्षण आयुक्त को जाँच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में वैष्ठित शक्तियाँ निम्न मामलों में प्राप्त होगी, नामत: -

(क) किसी साक्षी को आहूत एवं परीक्षित करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण एवं पेश किया जाना आवश्यक होना,

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय के किसी लोक अभिलेख को मंगाना,

(घ) किसी साक्षी अथवा हिसाब के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना,

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण अथवा स्थानीय अनुसंधान करना,

(च) अन्य कोई मामला जो विहित किया जावे।

(5) यदि किसी ऐसी जाँच के दौरान कोई विवाद इस बाबत उत्पन्न होता है कि विशिष्ट वक्फ़ शिया वक्फ़ है अथवा सुन्नी वक्फ़ एवं वक्फ़ विलेख में इसकी प्रकृति बाबत स्पष्ट इंगित किया गया हो तो विवाद का निराकरण ऐसे विलेख के आधार पर किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य की वक्फ़ सम्पत्ति का द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती निरीक्षण करने का निदेश दे सकेगी एवं उपधारा (1) में निर्देशित निरीक्षण को प्रयोज्य उप-धारा (2), (3), (4), (5) के प्रावधान ऐसे सर्वेक्षण को प्रयोज्य होंगे :

परन्तु ऐसा द्वितीय अथवा प्रश्चात्वर्ती निरीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि उप-धारा (3) के अन्तर्गत ठीक पूर्व में किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से [2]दस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो।

[3]"परन्तु आगे यह कि पूर्व अधिसूचित वक्फ़ सम्पत्तियों को पश्चातवर्ती सर्वेक्षण में तब के सिवाय पुनर्विचार में नहीं लिया जाएगा जहाँ ऐसी संपत्ति की स्थिति विधि के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित हो चुकी हो।"

5. वक्फ़ सूची का प्रकाशन- (1) धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार इसकी एक प्रति बोर्ड को अग्रेषित करेगी।

(2) बोर्ड उप-धारा (1) के अंतर्गत इसको अग्रेषित की गई रिपोर्ट का परीक्षण करेगा एवं राज्य में अधिनियम के आरम्भ होने के समय या तदोपरांत अस्तित्व में आने वाली सुन्नी वक्फ़ों या शिया वक्फ़ों की एक सूची शासकीय राजपत्र में, जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित हो, प्रकाशित करायेगा एवं ऐसे विवरक जो निर्धारित किये गये हो अन्तर्निहित होंगे।

[4]"(3) राजस्व अधिकारीगण-

(i) भू- अभिलेखों को जब अद्यतन करेंगे तब उपधारा (2) में सन्दर्भित ओकाफ की सूची को सम्मिलित करेंगे; एवं

(ii) भू-अभिलेखों में नामांतरण को निर्णीत करते समय उपधारा (2) में संदर्भित ओकाफ सूची को विचार में लेंगे।

(4) समय-समय पर मुद्रित सूचियों को राज्य सरकार अभिलेखित करेगी।

6. वक्फ़ के सम्बन्ध में विवाद.- (1) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट सम्पत्ति जो वक्फ़ सूची में सम्पत्ति है अथवा नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट वक्फ़ शिया वक्फ़

अथवा सुन्नी वक्फ़ है बोर्ड अथवा वक्फ़ का मुतवल्ली अथवा इसमें हित बद्ध अन्य कोई व्यक्ति अधिकरण में प्रश्न के निर्णय के लिए वाद संस्थित कर सकेगा एवं ऐसे मामले के सम्बन्ध में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु वक्फ़ सूची का प्रकाशन होने की दिनांक से एक वर्ष समाप्त होने के उपरांत ऐसा कोई वाद अधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।

[3]"परन्तु आगे यह कि धारा 4 की उपधारा (6) में उल्लेखित प्रावदानों के अनुसार द्वितीय या पश्चातवर्ती हुए सर्वेक्षण में ऐसी सम्पत्तियों को अधिसूचित हो जाने पर उनके संबंध में अभिकरण के समक्ष कोई वाद संस्थित नहीं हो सकेगा।"

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वक्फ़ के सम्बन्ध में कार्यवाही मात्र इस कारण से कि ऐसा वाद अथवा ऐसे वाद से उत्पन्न कोई अपील अथवा अन्य कार्यवाही लंबित है स्थगित नहीं की जायेगी।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी वाद में पक्षकार नहीं माना जावेगा एवं उसके द्वारा या इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम के अनुसरण में आशयित की गई सद्भावित कार्यवाही के लिए उसके विरुद्ध किसी वाद के लिए कोई वाद अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(4) वक्फ़ सूची अंतिम एवं निर्णायक होगी जब तक कि इसे उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिकरण के फैसले के अनुसरण में उपांतरित नहीं किया जाता|

(5) इस अधिनियम के राज्य में आरम्भ होने से कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही उस राज्य के सिविल न्यायालय में उप-धारा (1) में संदर्भित किसी प्रश्न के सम्बन्ध में संस्थित अथवा आरम्भ नहीं की जावेगी|

7. [1]ओकाफ के सम्बन्ध में विवाद विनिश्चित करने के बाबत अधिकरण की शक्ति.- (1) इस विवाद या अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि ओकाफ सूची में वक्फ़ सम्पत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है अथवा नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ़ शिया वक्फ़ है अथवा सुन्नी वक्फ़ है तो बोर्ड या वक्फ़ मुतवल्ली अथवा इसमें हितबद्ध अन्य कोई व्यक्ति [2]जो धारा (5) में मुद्रित ओकाफ सूची से व्यथित है, ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को प्रश्न के निर्णय हेतु आवेदन कर सकेगा एवं अधिकरण का निर्णय ऐसे मामले के विषय में अंतिम होगा :

परन्तु यह कि-

(क) राज्य के किसी भाग से सम्बन्धित ओकाफ सूची के मामले में और जो अधिनियम आरम्भ होने के पश्चात् प्रकाशित की गई हो ऐसी कोई आवेदन ओकाफ सूची प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पश्चात् ग्रहण नहीं किया जावेगा|

(ख) राज्य के किसी भाग से सम्बन्धित ओकाफ सूची के मामले में जो अधिनियम आरम्भ होने के ठीक पूर्व एक वर्ष की अवधि में किसी समय प्रकाशित की गई हो ऐसी आवेदन अधिकरण द्वारा ऐसे आरम्भ होने से एक वर्ष के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा|

परन्तु यह भी कि जहाँ ऐसी कोई प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे आरम्भ होने के पूर्व संस्थित वाद में सुना गया है एवं अंतिम तौर पर विनिश्चित किया गया हो तो, अधिकरण ऐसे प्रश्न को पुन: नहीं देखेगा।

(2) उप-धारा (5) के प्रावधान के कारण जहाँ अधिकरण को अधिकारिता न हो के सिवाय इस धारा के अन्तर्गत किसी वक्फ़ के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के न्यायालय, अधिकरण, अथवा अन्य

प्राधिकरण द्वारा मात्र इस कारण कि ऐसा कोई वाद, आवेदन अथवा अपील अथवा ऐसे वाद, आवेदन, अपील अथवा अन्य कार्यवाही से उत्पन्न अन्य कोई कार्यवाही लंबित है रोका नहीं जावेगा|

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी वाद में पक्षकार नहीं माना जावेगा।

(4) ओकाफ की सूची जहाँ पर यह सूची उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिकरण के फैसले के अनुसरण में उपान्तरित की गई है, वही सूची जो इस तरह से उपान्तरित की गई है, अंतिम होगी|

(5) कोई मामला जो किसी वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु है जिसे इस अधिनियम के आरम्भ होने से पहले, धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ किया गया है अथवा इसके आरम्भ होने के पहले के किसी वाद या कार्यवाही में पास हुई डिक्री के फलस्वरूप हुई अपील की कोई विषय-वस्तु है अथवा ऐसे वाद, कार्यवाही या अपील के फलस्वरूप पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से उत्पन्न हुई है, जैसा भी मामला हो, अधिकरण को ऐसे मामले को निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगी|

[2](6) अधिकरण को वक्फ़ सम्पत्ति के अनाधिकृत आधिपत्य से कारित होने वाली क्षति को आंकने तथा ऐसे अतिक्रामकों को उनके वक्फ़ सम्पत्ति के अवैध आधिपत्य हेतु दण्डित करने एवं कलेक्टर के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने का अधिकार होगा|

परन्तु जो भी हो, लोक-सेवक होते हुए यदि वह अपने विधिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में अतिक्रमण रोकने या हटाने में असफल रहता है, दोषसिद्धि हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे अपराध हेतु पन्द्रह हजार रुपये तक विस्तृत हो सकेगा|"

[3]इस अध्याय अंतर्गत सर्वेक्षण करने का सम्पूर्ण व्यय, ओकाफ-सूची या सूचियों के मुद्रण न्याय को सम्मिलित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा|

अध्याय-III

केन्द्रीय वक्फ़ परिषद

9. केन्द्रीय वक्फ़ परिषद की स्थापना तथा गठन.- [4](1) "केन्द्र सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं मंडलों की कार्य-प्रणाली एवं ओकाफ के सम्यक प्रशासन से संबंधित मामलों में सुझाव देने हेतु परिषद स्थापित कर सकती है, जिसे केन्द्रीय वक्क परिषद के नाम से जाना जाएगा|

[2](1क) उपधारा (1) में सन्दर्भित परिषद, ऐसे विषयों पर एवं इस भांति निर्देश मंडलों को जारी करेगी। जैसा कि उपधारा (4) एवं (5) में प्रावधानित है;"

(2) परिषद में-

(क) वक्फ़ों के भारसाधन में केन्द्रीय मंत्री-पदेन अध्यक्ष,

(ख) मुस्लिम सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्य, नामत:-

(i) अखिल भारतीय हैसियत एवं राष्ट्रीय महत्व को धारण करने वाले मुस्लिम संगठनों का का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति;

[1](ii) चार राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें एक-प्रत्येक प्रशासन या प्रबन्धन, आर्थिक-प्रबन्धन, यांत्रिकी या शिल्पकारिता एवं चिकित्सीय क्षेत्र के होंगे|"

(iii) संसद के तीन सदस्य जिसमें दो लोक सभा में से तथा एक राज्य-परिषद में से होंगे;

(iv) चक्रानुक्रम से तीन बोर्ड के अध्यक्षगण;

(v) दो व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके है;

(vi) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक एडवोकेट;

(vii) पाँच लाख रुपये और इससे अधिक की सकल वार्षिक आय रखने वाले वक्फ़ के मुतवल्लियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति;

(viii) तीन व्यक्ति जो मुस्लिम विधि के सुप्रसिद्ध विद्वान है|

[1]परन्तु यह कि उपधारा (i) से (viii) अंतर्गत नियुक्त होने वाले सदस्यों में कम से कम दो महिलाएँ होगी।

(3) पद अवधि, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरित प्रक्रिया एवं परिषद के सदस्यों के मध्य आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का तरीका ऐसा होगा जैसा केन्द्र सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे।

[2](4) राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, मंडल, परिषद को राज्य में वक्फ़ बोर्डो के कार्य की सूचना विशेषत: उनकी आर्थिक क्रियाशीलता, सर्वेक्षण, वक्फ़-लिखतमों, राजस्व अभिलेख, वक्फ़ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण, वार्षिक-प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण-प्रतिवेदन के संबंध में परिषद द्वारा निर्धारित समय एव रीति में प्रदाय करेगा एवं परिषद स्वयमेव भी बोर्ड से विशिष्ट विषय के संबंध में सूचना मांग करती है, यदि परिषद की सन्तुष्टि हो जाती है कि वहाँ पर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या अनियमितता के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य है या परिषद की सन्तुष्टि है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या अनियमितता स्थापित है, परिषद, जैसा उचित समझे, ऐसे निर्देश दे सकती है, जिनका संबंधित मंडल द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए, पालन किया जाएगा|

(5) उपधारा (4) में परिषद द्वारा जारी निर्देश से उदित किसी विवाद को केन्द्र शासन द्वारा गठित न्यायिक-मंडल को संदर्भित किया जाएगा, जिसका पीठासीन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति होगा एवं उसके देय शुल्क एवं यात्रा- भत्ता तथा अन्य भत्ते उसी प्रकार के होंगे जैसे कि उस सरकार द्वारा विनिर्धारित किए गए हों|

10. परिषद का वित्त.- (1) प्रत्येक बोर्ड इसके वक्फ़ कोष से प्रतिवर्ष परीषद को ऐसा अंशदान देगा जो ऐसे वक्फ़ों के सम्बन्ध में जिनका अंशदान धारा 72 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भुगतान योग्य है की शुद्ध वार्षिक आय के एक प्रतिशत के बराबर होता है :

परन्तु जहाँ बोर्ड ने किसी विशिष्ट वक्फ़ धारा 72 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उस धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इसे भुगतान योग्य सम्पूर्ण अंश दान को परिहार कर दिया है तो परिषद को इस धारा के अन्तर्गत भुगतान योग्य अंशदान गणना करने में वक्फ़ की ऐसी वार्षिक आय जिसके सम्बन्ध में छूट दी गई है को हिसाब में नहीं लिया जाएगा|

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त सभी राशि एवं अन्य सभी राशि जो इसे दान, धर्मस्व और अनुदा के रूप में प्राप्त हुई हो, से केन्द्रीय वक्फ़ कोष कहे जाने वाले कोष का गठन होगा|

(3) ऐसे किसी नियम के विषयाधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जावे केन्द्रीय वक्फ़ कोष परिषद के नियंत्रण में होगा एव ऐसे उद्देश्यों के लिए जिसे परिषद उपयुक्त समझे प्रयोज्य किया जा सकेगा।

11. हिसाब एवं अंकेक्षण.- (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, तरीके व प्रारूप में परिषद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार, तरीके व प्रारूप में परिषद हिसाब की ऐसी पुस्तकें एवं इसके खातों के सम्बन्ध में अन्य पुस्तकें रखेगी|

(2) परिषद के खातों को ऐसे अंकेक्षक द्वारा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जावे वार्षिक तौर पर अंकेक्षित एवं परीक्षित किया जावेगा|

(3) अंकेक्षण के व्यय केन्द्री वक्फ़ कोष से भुगतान किये जावेंगे|

12. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उद्वेश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी|

(2) विशिष्टतया पूर्वोल्लिखित शक्ति की व्यापकता की प्रतिकूलता के बिना, ऐसे नियम निम्न सभी अथवा किसी मामले में हो सकते हैं, नामत: -

(क) पद की अवधि, उनके कर्तव्य के निर्वहन में अनुसरित प्रक्रिया एवं परिषद के सदस्यों के मध्य आकस्मिक रिक्ति पूर्ति व का तरीका;

(ख) केन्द्रीय वक्फ़ कोष पर नियंत्रण एवं प्रयोज्यता;

(ग) वह प्ररूप एवं तरीका जिसमें परिषद के खाते रखे जायेंगे|

(3) इस अध्याय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम को इसको बनाये जाने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन में जब कि यह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों मे पूरी हो सकेगी| यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित करने के लिए सहमत हो जायें तो वक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाये कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा|

अध्याय - IV
बोर्डो की स्थापना एव उनके कार्य

13. निगमन. - (1) ऐसी दिनांक के प्रभाव से जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा इस बाबत नियमत करें, वक्फ़ों का बोर्ड ऐसे नाम के अन्तर्गत जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो स्थापित किया जावेगा|

[1]"परन्तु यह कि जहाँ इस उपधारा में अपेक्षित “वक्फ-मंडल" की स्थापना नहीं हो, तब इस अधिनियम के प्रावधानों या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रावधानों को हानि पहुँचाए बिना, वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2013 के प्रारम्भिक दिनांक से छ: मास की अवधि के भीतर “वक्क मंडल की स्थापना की जाएगी|”

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य में गठित शिया वक्फ़ों की संख्या राज्य के सभी वक्फों के 15 प्रतिशत से अधिक होती है अथवा यदि राज्य में शिया वक्फ़ों की सम्पत्ति की आय राज्य में शिया वक्फ़ों की सम्पत्ति की आय राज्य में सभी वक्फ़ों की सम्पत्ति की कुल आय से 15 प्रतिशत से अधिक होती है तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक सुन्नी वक्फ़ों एवं प्रत्येक शिया वक्फ़ों के लिए वक्फ़ों के बोर्ड की स्थापना ऐसे नामों के अन्तर्गत जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो की जावेगी।

(2क) “जहाँ धारा 13 की उपधारा (2) अन्तर्गत “वक्फ़-मंडल” स्थापित हो, शिया वक्फ़ के मामले में, शिया मुसलमान ही उसके सदस्य होंगे एवं सुन्नी वक्फ़ के मामले में सुन्नी मुसलमान ही उसके सदस्य होंगे।”

(3) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुद्रा रखने वाला, सम्पत्ति को अर्जित एवं धारित करने एवं ऐसी सम्पत्ति को ऐसी शर्तो व निर्बन्धनों पर जो विहित किये जाने के विषयाधीन रहते हुए अंतरण करने की शक्ति के साथ कानूनी निकाय होगा एवं कथित नाम से वाद ला सकेगा अथवा वाद

लाया जा सकेगा|

14. बोर्ड की संरचना. - (1) बोर्ड राज्य के मामले में भी, -

(क) अध्यक्ष;

(ख) एक और दो सदस्यों से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, प्रत्येक निर्वाचन मण्डल में से चुने जायेंगे जो कि निम्न रूप से है -

(i) राज्य अथवा संघीय क्षेत्र देहली, जैसा भी मामला हो, से मुस्लिम संसद सदस्य,

(ii) राज्य विधान मण्डल के मुस्लिम सदस्य

(iii)"संबंधित राज्य या संघ-शासित राज्य, की अभिवक्ता परिषद के मुस्लिम सदस्य;"

परन्तु यह कि ऐसे मामले में जब राज्य, संघ-शासित राज्य की अधिवक्ता-परिषद में कोई मुस्लिम सदस्य न हो, जैसा भी प्रकरण से, तब उस राज्य या केन्द्र शासित राज्य के किसी वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामांकित किया जाएगा;"

(iv) वक्फ़ जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या अधिक है, के मुतवल्ली;

[2]स्पष्टीकरण 1. संदेहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपखण्ड (1) से (4) की श्रेणी में शामिल सदस्यों को प्रत्येक श्रेणी के स्थापित निर्वाचन-विद्यालय द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2. संदेहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता कि यदि मुस्लिम सदस्य संसद, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, देहली, जैसा कि खण्ड (ख) के उपखंड (1) में सन्दर्भित है, या राज्य विधान सभा के सदस्य, जैसा कि खंड (ख) के उपखंड (2) में सन्दर्भित है, की सदस्यता से वंचित हो जाता है, तब ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि ऐसे सदस्य द्वारा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, देहली के मंडल के सदस्य ने इस कार्यालय को भी जैसा भी हो, ऐसी दिनांक से जिस दिनांक से ऐसा सदस्य संसद, राज्य विधानसभा या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है।

[2](ग) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जो शहर योजना या व्यापारिक प्रबन्धीकरण सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि एवं विकास की गतिविधियों में व्यवसायिक अनुभव रखता हो, को राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(घ) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जो इस्लाम के शिया एवं सुन्नी अध्यात्म का प्रमाणिक विद्वान हो,

(ङ) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति. जो राज्य सरकार के अधिकारियों में से एक अधिकारी जो राज्यशासन सचिव से निम्न पद-श्रेणी का न हो;

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लेखित सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरण योग्य मत द्वारा निर्धारित तरीके से किया जावेगा।

परन्तु जहाँ राज्य के लिए निर्वाचित मुस्लिम संसद सदस्यों की संख्या राज्य विधान मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद्, जैसा भी मामला हो, मात्र एक है ऐसा मुस्लिम सदस्य बोर्ड का सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा;

परन्तु आगे यह भी कि जहाँ उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्डों (i) से (iii) में उल्लेखित श्रेणियों में से कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो भूतपूर्व मुस्लिम संसद सदस्य, राज्य मंडल अथवा राज्य विधिज्ञ परिषद् के भूतपूर्व सदस्य, जैसा भी मामल हो, निर्वाचन मंडल गठित करेंगे|

(3) इस धारा में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड

करते हुए जहाँ राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्डों (i) से (iii) में उल्लेखित किन्हीं भी श्रेणियों के लिए निर्वाचन मण्डल का गठन होना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है, राज्य सरकार ऐसे लोगों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझती है।

(4) उप-धारा (3) में उल्लेखित प्रावधान के सिवाय बोर्ड के चुने हुए सदस्यों की संख्या हमेशा ही नाम निर्दिष्ट सदस्यों से ज्यादा होगा|

[1](5) लुप्त।

(6) बोर्ड के शिया सदस्यों अथवा सुन्नी सदस्यों की संख्या विनिश्चित करने में राज्य सरकार शिया [2]वक्फ़ों एवं [2]सुन्नी वक्फ़ों की संख्या एवं मूल्य, जिनका प्रशासन बोर्ड द्वारा नियुक्ति जहाँ तक होगा ऐसे विनिश्चय के अनुसार की जावेगी।

[1](7) लुप्त।

(8) जब कभी भी बोर्ड का गठन या पुर्नगठन किया जाता है, इस उद्देश्य के लिये संयोजित मीटिंग में उपस्थित सदस्य उनमें से एक को बोर्ड का अध्यक्ष चुनेंगे।

(9) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजकीय पत्र में अधिसूचना द्वारा की जायेगी।

15. पदावधि.- बोर्ड के सदस्यगण पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

[2]धारा 14 की उपधारा (9) में सन्दर्भित अधिसूचना की दिनांक से,

16. बोर्ड के सदस्य के रूप में जारी रहने वाली अथवा नियुक्त होने के लिए निर्योग्यता. - एक व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने अथवा जारी रहने के लिए निर्योग्य होगा यदि-

(क) वह मुस्लिम नहीं है एवं 21 वर्ष से कम आयु का है;

(ख) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति पाया जाता है;

(ग) वह अनुन्मोदित दिवालिया है;

(घ) वह नैतिक दुराचरण के अपराध में सम्मिलित होने के लिए दोषसिद्ध किया गया है एवं ऐसी दोषसिद्धि उलटी नही गई है अथवा उसे ऐसे अपराध के सम्बन्ध में पूर्णक्षमा प्रदान नहीं की गयी है;

(घक) वह किसी वक्फ़ सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने के अपराध में सिद्धदोष निश्चित किया गया है।

(ङ) वह पूर्व अवसर पर -

(i) सदस्य अथवा मुतवल्ली के रूप में उसके पद से हटाया गया है, अथवा

(ii) सक्षम न्यायालय अथवा अधिकरण के आदेश से न्यास की किसी स्थिति से कुप्रबंध के लिए अथवा भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया है।

17. बोर्ड की मीटिंग.- (1) बोर्ड व्यवसायिक संव्यवहार के लिए ऐसे समय व स्थानों पर जो विनियमों द्वारा उल्लेखित किया जावे, मीटिंग करेगा|

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा उनके मध्य में से चुना गया कोई व्यक्ति बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के विषयाधीन रहते हुए, सभी प्रश्नों को जो बोर्ड के समक्ष किसी मीटिंग में आते हैं उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत किया जावेगा एवं मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अन्य व्यक्ति जो अध्यक्षता कर रहा है

द्वितीय अथवा निर्णायक मत देगा|

18. बोर्ड समिति.- (1) बोर्ड, जबकभी भी आवश्यक समझता है, तब या तो साधारण तौर पर या एक विशेष प्रयोजन के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए वक्फ़ के पर्यवेक्षण हेतु समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) ऐसे समिति का गठन, कार्य और कर्तव्य तथा कार्यालय की कालावधि समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी;

परन्तु यह ऐसी समितियों के सदस्यों के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वे बोर्ड के सदस्य हों।

19. अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग-पत्र. - अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य उसके पद से राज्य सरकार को सम्बोधित उसके हस्त द्वारा लिखित के द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है:

परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य उसके पद पर रहना जारी रखेंगे जब तक शासकीय राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति को अधिसूचित नहीं किया जाता।

20. अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाना.- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को हटा सकेगी यदि वह-

(क) धारा 16 में विनिर्दिष्ट निर्योग्यता के विषयाधीन है अथवा हो जाता है;

(ख) कृत्य करने से इन्कार करता है अथवा कृत्य करने में असमर्थ है अथवा ऐसे तरीके से कृत्य करता है जिसे राज्य सरकार उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की सुनवाई के पश्चात् वक्फ़ के हितों पर प्रतिकूलता कारित करने वाला समझती है; अथवा

(ग) बोर्ड की राय में बिना पर्याप्त कारण के बोर्ड की तीन क्रमवार मीटिंगों में उपस्थित होने में विफल रहता है।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया जाता है, वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रह जावेगा|

[2]**20क.** धारा 20 के प्रावधानों की हानि न करते हुए मंडल के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा (निम्न प्रकार की प्रक्रिया से) हटाया जा सकेगा; जैसे-

(क) बोर्ड के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव दर्शाते हुए कोई प्रस्ताव विनिश्चित प्रक्रिया के सिवाय एवं उसके अध्यक्ष पद पर निर्वाचन दिनांक से बारह मास की अवधि समाप्ति के पूर्व नहीं लाया जाएगा और उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना हटाया नहीं जाएगा|

(ख) अविश्वास प्रस्ताव की सूचना में उन आधारों को स्पष्टत: अभिकथित किया जाएगा जिन आधारों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना प्रस्तावित है एवं मंडल के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

(ग) अविश्वास प्रस्ताव का सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले मंडल के कम से कम तीन सदस्य राज्य सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे एवं उसके साथ इस आशय का शपथपत्र भी संलग्न करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के वास्तविक हस्ताक्षर है तथा उन्होंने उस सूचना को पढ़कर या सुन-समझकर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) जैसा कि ऊपर में प्रावधानित है, राज सरकार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना की प्राप्ति पर, राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दिनांक, समय एवं स्थल, जो ऐसी सभा हेतु उपयुक्त हो, नियम करेगा;

परन्तु यह कि ऐसी सभा को बुलाए जाने हेतु कम से कम पन्द्रह दिवसों की पूर्व सूचना

दी जाएगी,

(ङ) खण्ड (घ) में आहुत सभा की सूचना में यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव के भलीभाँति पास हो जाने पर नवीन अध्यक्ष के निर्वाचन, जैसी भी परिस्थिति हो, भी उसी सभा में कराया जा सकेगा|

(च) राज्य शासन द्वारा एक राजपत्रित अधिकारी विभाग के प्रशासन एब निरीक्षण से संबंधित अधिकारी के अलावा को ऐसी सभा का पीठासीन अधिकारी भी नामांकित किया जाएगा|

(छ) मंडल की ऐसी सभी हेतु कोरम मंडल के कुल सदस्यों की संख्या की आधी संख्या होगी,

(ज) यदि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को पास हुआ माना जाएगा।

(झ) यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो मंडल का अद्यक्ष उसी समय अपने पद से वंचित हो जाएगा एवं उसी सभा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अन्य प्रस्ताव द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा|

(त्र) खण्ड (झ) में नवीन अध्यक्ष हेतु निर्वाचन उसमें अभिलिखित पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न होगा-

(क) मंडल के निर्वाचित सदस्यों मे से मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा|

(ख) उम्मीदवारों का नामांकन उसी सभा में प्रस्तावकों एवं समर्थकों द्वारा किया जाएगा एवं नाम वापिसी यदि कोई हो, के उपरांत गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा,

(ग) सभा में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्वाचन सम्पन्न होगा एवं बराबर-बराबर मतों के मामलों में लाटरी द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा, एवं

(घ) सभा की कार्यवाहियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा,

(त) खण्ड (झ) में निर्वाचित अध्यक्ष केवल अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए अध्यक्ष की अवधि की शेष अवधि हेतु अध्यक्ष होगा, एवं

(च) यदि अविश्वास प्रस्ताव हेतु सभा कोरम के अभआव या सभा में आवश्यक बहुमत के अभाव में असफल होती है, तो उस सभा के सम्पन्न होने के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु कोई पश्चात्वर्ती सभा आयोजित नहीं होगी|"

21. पद को भरा जाना.- जब सदस्य का पद उसको हटाये जाने, त्याग-पत्र, मृत्यु अथवा अन्यथा रिक्त हो जाता है उसके स्थान पर नवीन सदस्य को नियुक्त किया जावेगा एवं ऐसा सदस्य पद को उतने समय तक धारण करेगा जितना कि वह सदस्य जिसके स्थान पर जिसको भरा जाता है धारित करने का अधिकारी होता यदि ऐसी रिक्तता घटित नहीं हुई होती।

22. रिक्तियाँ, इत्यादि, बोर्ड की कार्यवाही को अवैधानिक बनाने के लिए नहीं.- बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही, इसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में कोई दोषमात्र होने के कारण अविधिमान्य हो जायेगा|

23. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी कार्यालय की कालावधि तथा सेवा की अन्य शर्ते.- [1](1) यह कि मंडल का एक पूर्ण-कालिक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो मुस्लिम होगा तथा जो राज्य शासन के उप-सचिव पद से निम्न पद का नहीं होगा, को अधिसूचना द्वारा

मंडल द्वारा प्रस्तावित दो सदस्यों की सूची में से एक को राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा एवं उस श्रेणी के ऐसे मुस्लिम अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, उसके बराबर श्रेणी के मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।"

(2) कार्यालय की कालावधि और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाये।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पदेन सचिव होगा और वह बोर्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होगा।

24. बोर्ड के अधिकारीगण और कर्मचारीगण.- (1) बोर्ड के पास सहायतार्थ ऐसे अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों की संख्या होगी जो इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों का भलीभाँति पालन के लिए आवश्यक हो, उसके विवरण का अवधारण, राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यालय की कालावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसे विनियमनों द्वारा विहित की जाएं।

25. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य एवम् शक्तियाँ. - (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों का तथा बोर्ड के निर्देशों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों के अन्तर्गत आयेंगे-

(क) वक्फ़ की प्रकृति एवम् विस्तार और वक्फ़ सम्पत्ति का अन्वेषण तथा जब कभी आवश्यक हो. मुतवल्लीय से समय-समय पर वक्फ़ सम्पत्ति की सूची, खातों, विवरण और सूचना की माँग करना;

(ख) वक्फ़ सम्पत्तियों और उनसे सम्बन्धित खातों, अभिलेखों, विलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण करना या कराना;

(ग) साधारण तौर पर ऐसे कार्यो को करना जो, वक्फ़ के नियन्त्रण, पोषण और अधीक्षण के लिए आवश्यक है।

(2) किसी भी वक्फ़ के बाबत उप-धारा (1) के अधीन निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करने मे बोर्ड, वक्फ़ के विलेख में वाकिफ द्वारा निर्देशों, वक्फ़ के प्रयोजन और ऐसे रूढ़ि और प्रथा की संपुष्टि मे कार्य करेगा जिसे कि उस मुस्लिम-विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, जिससे वक्फ़ का संबंध होता है|

(3) जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्ति तौर पर, विहित है, के सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित या प्रत्योजित किए जाएं|

26. बोर्ड के आदेशों या संकल्प के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां.- जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह समझता है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया आदेश या संकल्प-

(क) विधि के अनुसार नहीं पारित किया गए है; या

(ख) उसके आधिक्य में है या बोर्ड द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या किसी दूसरी विधि द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों का दुरुपयोग होता है; या

(ग) यदि संचालित किया जाय, तो-

(i) बोर्ड या सम्बन्धित वक्फ़ या सामान्य रूप से वक्फ़ वित्तीय हानिकारित करने वाला है;

(ii) एक बलवा या शांति भंग करने वाला है; या

(iii) मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, को खतरा पहुँचाने वाला है; या

(घ) साधारण तौर पर बोर्ड या किसी वक्फ़, या वक्फ़ों के लिए हितग्राही नहीं है,

वह ऐसे आदेश या संकल्प को कार्यान्वित करने के पूर्व, मामले को इस पर पुनर्विचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और, यदि ऐसे आदेश या संकल्प की पुष्टि और वर्तमान सदस्यों के मत के बहुतम द्वारा और इस प्रकार के पुनर्विचार के पश्चात् मतदान को राज्य सरकार के लिए निर्देशित कर सकेगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा|

[2]**27. बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** मंडल, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अध्यक्ष, अन्य किसी सदस्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या मंडल के सेवक या किसी क्षेत्र समिति को, ऐसी शर्तो एवं निबंधनों जैसी कि उस आदेश में विनिश्चय किया गया हो, के सिवाय अधिनियम में प्रदत्त ऐसी शक्तियों एवं कर्तव्यों को जो (धारा 32 की उपधारा (2)) के खण्ड (ग), (घ), (g) एवं (j) एवं धारा 110 में उल्लेखित हैं, के सिवाय प्रत्यावर्तित कर सकता है, जैसाकि मंडल आवश्यक उचित समझे।"

[1]**28. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कलेक्टर आदि के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करना. -** इस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियमों के प्रावधानों के सिवाय, प्रदेश में स्थित जिलो के जिला-मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट मंडल के निर्णयों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो उन्हें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माद्यम से प्रेषित किए जावेंगे एवं मंडल, जहाँ भी आवश्यक समझे, ऐसे निर्णयों का पालन करवाने के संबंध अभिकरण से भी निर्देश प्राप्त कर सकेगा|"

29. अभिलेखों रजिस्टरों आदि का निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ. - मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकृत बोर्ड का अन्य अधिकारी ऐसी शतों एवं निबन्धनों, [2]जो जैसी विनिश्चित की गई हो की जावे, सभी जो युक्तियुक्त समय पर, वक्फ़ अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है, वक्फ़ सम्पत्ति होना दावित की जाती है, से सम्बन्धित किसी लोक कार्यालय में किन्हीं अभिलेखों, रजिस्टरों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

[3](2) मुतवल्ली या अन्य कोई व्यक्ति. जिसकी अभिरक्षा में वक्फ़ सम्पत्ति से संबंधित लेखपत्र है, को उन्हें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष विनिर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखित में आदेश दिए जा सकते है|

(3) ऐसी शर्तें, जो विनिश्चित की गई हों, के अध्यधीन सरकार का अभिकरण या अन्य कोई संगठन अभिलेखों की प्रतियाँ, सम्पत्तियों की पंजिया या अन्य अभिलेख जो वक्फ़ सम्पत्ति से संबंधित या वक्फ़ सम्पत्ति होने का दावा किया जाता हो, को इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उसके लिखित निवेदन पर दस कार्यदिवसों के भीतर प्रदाय किया जाएगा,

परन्तु यह कि उपधारा के (2) एवं (3) में उल्लेखित कार्यवाही किए जाने हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को मंडल से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।"

30. अभिलेखों का निरीक्षण.- (1) बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे अन्य अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे सकता है एवं शुल्क भुगतान किये जाने पर एवं उल्लेखित शर्तो के विषयाधीन रहते हुए इसकी प्रतिलिपि जारी सकता है|

(2) इस धारा के अन्तर्गत जारी सभी प्रतिलिपियाँ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में प्रावधानित तरीके से प्रमाणित की जावेगी|

(3) उपधारा (2) के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे बोर्ड के अन्य

अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा भी उपयोग में लाई जा सकती है यदि बोर्ड द्वारा इस बाबत सामान्यत: अथवा विशिष्टत: प्राधिकृत किया गया हो।

31. संसद की सदस्यता के लिए निर्योग्यता का निवारण.- यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्यों एवं अध्यक्ष के पद धारकों को संसद सदस्यों के रूप में होने अथवा चुने जाने पर निर्योग्य नहीं किया जाएगा एवं कभी भी नियोंग्य होना नहीं समझा जावेगा|

[2]"या केन्द्रीय प्रदेश विधायिका या प्रादेशिक विधानसभा के यदि इस रूप में प्रादेशिका विधायिका द्वारा निर्मित विधि के अध्यधीन सदस्य"

32. बोर्ड की शक्ति एवम् कृत्य.- (1) ऐसे किसी नियम के अध्यधीन रहने हुए जिसका निर्माण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा, एक राज्य में सभी वक्फ़ों का सामान्य अधीक्षण, स्थापित किये गये बोर्ड या राज्य में निहित होगा; और यह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करना बोर्ड का कर्तव्य होगा जिससे यह सुनिश्चित करे कि इसके अधीक्षण के अधीन वक्फ़ों को समुचित तौर पर कायम, नियन्त्रित और प्रशासित किया जाता है और उसकी आय का उपयोजन भली-भाँती ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाता है, जिनके लिए ऐसे वक्फ़ों का सृजन किया गया था या आशय रखा गया था:

परन्तु किसी भी वक्फ़ के बाबत इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों को प्रयोग करने में, बोर्ड उस मुस्लिम विधि के स्कूल द्वारा मंजूर की गयी किसी भी प्रथा या रूढ़ि और वक्फ़ के प्रयोजनों एवम् वक्फ़ के निर्देशों की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसका वक्फ़ होता है।

स्पष्टीकरण - संदेह को दूर करने के लिए, यह एतद् घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में "वक्फ़" के अन्तर्गत एक ऐसा वक्फ़ आता है जिसके सम्बन्ध में कोई योजना विधि के किसी भी न्यायालय द्वारा बनायी गयी है, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात्|

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रतिकूल हुए बिना ही, बोर्ड के कृत्य होंगे-

(क) प्रत्येक वक्फ़ की उत्पत्ति, आय, उद्देश्य और हितग्राहियों से संबंधित सूचना को धारण करने वाले एक अभिलेख को बनाये रखना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ़ की आय और अन्य सम्पत्ति उन उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती हैं, जिसके लिए वक्फ़ का आशय रखा गया या सृजन किया गया था:

(ग) वक्फ़ों के प्रशासन के लिए निर्देश देगा;

(घ) एक वक्फ़ के लिए प्रबन्ध की योजना की व्यवस्था करना :

परन्तु इस प्रकार का कोई भी व्यवस्थापन सुने जाने का एक अवसर व्यथित पक्षकारों को दिए बिना ही नहीं किया जायेगा।

(ङ) निदेश देना-

(i) वक्फ़ के उद्देश्यों के संगत वक्फ़ की अधिशेष आय का उपयोग;

(ii) एक वक्फ़ की आय का जिसके उद्देश्य किसी भी लिखत से सुस्पष्ट नहीं होते हैं, किस तरीके से, उपयोग किया जायेगा;

(iii) ऐसे किसी भी मामले में जहाँ वक्फ़ का कोई भा उद्देश्य अस्तित्वशील रहने से विरत हो गया है या कामयाबी प्राप्त करने में असमर्थ हो गया है, वहाँ वक्फ़ की आय का इतना अधिक, जितना उस उद्देश्य के प्रति पहले उपयोजित किया था, वह किसी दूसरे उद्देश्य के प्रति भी उपयोजित किया जायेगा, जो मुस्लिम समुदाय ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए या गरीबों की प्रसुविधा के लिए या मौलिक उद्देश्य के प्रति एक

समान या लगभग एक समान होगा :

परन्तु प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिये बिना इस खण्ड के अन्तर्गत कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

(i) सुन्नी वक्फ़ के मामले में मात्र बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा; और

(ii) शिया वक्फ़ के मामले में मात्र बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा;

परन्तु बोर्ड में शिया या सुन्नी सदस्यों की संख्या तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसे सदस्यों द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह ऐसे अन्य मुस्लिमों जो शिया या सुन्नी, यथास्थिति हों, जैसा यह उचित समझे, इस खण्ड के अन्तर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है|

(च) मुतवल्ली द्वारा प्रेषित किये गये बजट की संवीक्षा करना और अनुमोदन करना और वक्फ़ के खाते का लेखा परीक्षण करने के लिए प्रबन्ध करना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार मुतवल्ली की नियुक्ति करना और हटाना;

(ज) किसी भी वक्फ़ की खोई हुई सम्पत्तियों की वसूली के लिए उपाय करना;

(झ) वक्फ़ से सम्बन्धित वादों और कार्यवाहियों को संस्थापित और बचाव करना;

[2](ञ) इस अधिनियम या उसके अध्यधीन विनिर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार वक्फ़ की किसी अचल सम्पत्ति को पट्टे पर देने हेतु सहमति देना,"

परन्तु यह कि ऐसी सहमति तब ही दी जाएगी जब कि मंडल के उपस्थित सदस्यों ने ऐसे संव्यवहार के पक्ष में दो तिहाई सदस्य मतदान नहीं किया हो,

परन्तु आगे यह कि जहाँ मंडल द्वारा ऐसी सहमति नहीं दी जाए, तत्सम्बन्ध में ऐसी नहीं करने के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।"

(ट) वक्फ़ कोष का प्रबन्ध करना;

(ठ) मुतवल्ली से वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरणी, आँकड़े, लेखे और अन्य सूचना जिनकी बोर्ड को समय-समय पर आवश्यकता है उन्हें मँगाना;

(ड) वक्फ़ सम्पत्तियों, लेखों, अभिलेखों या उनसे सम्बन्धित संलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना;

(ढ) वक्फ़ और वक्फ़ सम्पत्ति का अन्वेषण, और प्रकृति का अवधारण और विस्तार करना और जब कभी भी आवशयकता हो, ऐसी वक्फ़ सम्पत्ति का सर्वेक्षण करवाना;

[1](ढक) वक्फ़ भूमि या भवन का बाजारू किराया निर्धारित करने या निर्धारित करवाने हेतु मंडल द्वारा ऐसी विनिश्चित प्रक्रिया अनुसार करना होगा,

(ण) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना जो वक्फ़ के नियंत्रण, रख-रखाव एवं प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।

(3) जहाँ पर बोर्ड ने उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रबन्ध की योजना तय की है अथवा खण्ड (ङ) के अधीन कोई निर्देश दिया है कोई व्यक्ति जो वक्फ़ में हित रखता है या ऐसे निर्देश योजना से प्रभावित होता है तो ऐसी योजना या निर्देश या योजना से प्रभावित होता है तो ऐसी योजना या निर्देश को अपास्त करने हेतु अधिकरण में वाद संस्थित कर सकता है और उस पर अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(4) जहाँ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि कोई वक्फ़ भूमि जो वक्फ़ सम्पत्ति है, [3]उसके

शैक्षणिक संस्था, शापिंग सेन्टर, बाजार गृह या आवासीय प्रकोष्ठों एवं उसके सदृश विकास का सामर्थ्य रखती है; यह सम्बन्धित वक्फ़ के मुतवल्ली को अपना विनिश्चित सूचित करने के लिए एक नोटिस दे सकेगा, जिस की अवधि नोटिस में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु साठ दिनों से कम नहीं, कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट विकास कार्यों के निष्पादन करने का इच्छुक है या नहीं।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जारी की गयी नोटिस के उत्तर, यदि कोई है, की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा उत्तर के ऊपर विचारण करने पर, यदि यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता है कि मुतवल्ली इच्छा नहीं कर रहा है या नोटिस की शर्तो में निष्पादित किये जाने वाले आपेक्षित कार्यो का सम्पादन करने में समर्थन नहीं होता है| यह सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ सम्पत्ति को कब्जे मे ले सकेगा, उस पर किसी भी इमारत या निर्माण को विनपट कर सकेगा, जो बोर्ड की राय में कार्यो के निष्पादन के लिए आवश्यक् होता है| और वक्फ़ निधि या वक्फ़ कोषों से ऐसे कार्य का निष्पादन करेगा, जो सम्बन्धित वक्फ़ की संपत्तियों की प्रतिभूति पर विचारणार्थ प्रस्तुत की जा सकती है, और ऐसे समय तक सम्पत्तियों पर नियंत्रण और उनका प्रबन्ध कर सकेगा जो सम्पत्ति पर उपगत किये गये विधिक अन्य परिवर्तनों एवं ऐसे कार्यो के पोषण पर खर्च के साथ इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत किये गये सभी खर्चे उस पर ब्याज को सम्पत्ति को व्युत्पन्न हुई आय से वसूला जाएगा:

परन्तु बोर्ड, बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को कब्जे में लिये जाने के बाद तत्काल अग्रेसित तीन वर्षो के दौरान सम्पत्ति से प्राप्त किये गये औसतन वार्षिक विशुद्ध आय के विस्तार तक सम्बन्धित वक्फ़ के मुतवल्ली को वार्षिक तौर पर क्षतिपूर्ति करेगा|

(6) उन सभी व्ययों के पश्चात् जो उप-धारा (5) में प्रगणित है, को विकसित सम्पत्तियों की आय से बलात ग्रहण किया गया है, वे विकसित सम्पत्तियाँ सम्बन्धित वक्फ़ के मुतवल्ली को सौंप दी जायेगी|

33. मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण की शक्ति.- (1) इस दृष्टिकोण के साथ परीक्षण करना क्या उसके कार्यपालकीय या प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुपालन में मुतवल्ली की ओर से कोई असफलता या उपेक्षा होने के कारण कोई हानि या क्षति किसी वक्फ़ की या वक्फ की सम्पत्ति की, कारित की गयी, तो बोर्ड की पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [2]या तो स्वयंमेव या उसकी ओर से लिखित तौर पर उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी चल व अचल सम्पत्तियाँ जो वक्फ़ सम्पत्तियाँ है और सभी अभिलेखों, संवाहों, योजनाओं, खातों और उनसे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में जब कभी भी यतानिर्देशित ऐसा कोई निरीक्षण किया जाता है तो सम्बन्धित मुतवल्ली और सभी अधिकारीगण तथा उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारीगण और वक्फ के प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति तक विस्तारित, इस प्रकार की सभी सहायता एवं प्रसुविधायें जैसा कि आवश्यक हो या ऐसे निरिक्षण को चालू रखने के लिए उसके द्वारा संचित तौर पर आवश्यक समझा गया हो, और वक्फ़ से सम्बन्धित किसी चल सम्पत्ति या दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए भी पेश करेगा जिन्हें निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा मंगाया जाये और वक्फ़ से सम्बन्धित ऐसी सूचना की उसे आपूर्ति करेगा जो उसके द्वारा अपेक्षित हो।

(3) जहाँ इस प्रकार के किसी निरीक्षण पश्चात् यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित मुतवल्ली या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उसके अधीन काम कर रहा था या कर रहा हो उसके वक्फ़ के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया, दुरूपयोग किया या कपटपूर्ण का से प्रतिधारित किया या वक्फ़ की निधि से अनियिमित, अप्राधिकृत या अनुचित खर्च को उपगत किया, वहाँ मुख्य

कार्यपालक अधिकारी यह कारण दर्शित करने का एक युक्तियुक्त अवसर मुतवल्ली या सम्बन्धित व्यक्ति को प्रदान करने के बाद क्यों न उसके विरुद्ध रकम या सम्पत्ति की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार के स्पष्टीकरण यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात् उस रकम या सम्पत्ति के आपूर्ति का निर्धारण कर सकेगा जिसका दुर्विनियोग और दुरूपयोग किया गया है या कपटपूर्ण ढंग से प्रतिधारित किया गया है या ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत किये गये अनियमित रकम अनाधिकृत अवधारित की गयी रकम या भुगतान करने की ऐसी कालावधि के भीतर जिसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, वक्फ़ की कथित सम्पत्ति को प्रत्यावधित करने के लिए इस प्रकार के एक व्यक्ति को निर्देशित करते हुए एक आदेश पारित कर सकेगा।

(4) ऐसे आदेश से व्यथित मुतवल्ली या दूसरा व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अधिकरण में अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसी अपील तब तक अधिकरण द्वारा विचारणार्थ ग्रहण नही की जायेगी, जब तक अपीलकर्ता, कार्यपालक अधिकारी के साथ ऐसी रकम जो अपीलकर्ता द्वारा देय है तथा उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जमा नहीं कर देता है और अधिकरण धारा (3) के अधीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा किये गये आदेश के प्रवर्तन, अपील के निस्तारण के लम्बित रहते हुए निस्तारण को स्थगित करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति नहीं रखेगा।

(5) अधिकरण, ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने के पश्चात् जिसे यह उचित समझता हो, उप-धारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक द्वारा पारित किये गये आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा या ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रकम, को या तो पूर्णतया या आशिक तौर पर भेज सकेगा और खर्चे के सम्बन्ध में, ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे यह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता हो।

(6) उप-धारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा|

34. धारा 33 के अधीन अवधारित की गयी रकम की वसूली.- जहाँ किसी भी मुतवल्ली या दूसरे व्यक्ति को चाहे धारा 33 की उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन संदाय या प्रत्यावर्तित करने का आदेश पारित किया जा चुका हो, इस प्रकार के आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर ऐसा संदाय करने में लोप करता है या असफल रहता है, वहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ, ऐसे कदम उठायेगा जैसे वह उपरोक्त सम्पत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए उचित समझ सकेगा और उस जिले के कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र भी भेजेगा जिसमें ऐसे मुतवल्ली या दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति स्थित है| उसमें उस रकम का उल्लेख करते हुए जिसे धारा 33 के अधीन यथा स्थिति, उसके या अधिकरण द्वारा अवधारित किया जा चुका है, ऐसे मुतवल्ली या अधिकरण द्वारा संदेय होने के रूप में, और उसके आधार पर कलेक्टर इस प्रकार की रकम में विनिर्दिष्ट रकम की वसूली करेगा जैसा कि वह भू-राजस्व के रूप में बकाया होती और ऐसी रकम की वसूली पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उस भुगतान करेगा, जो, उसकी प्राप्ति पर, सम्बन्धित रकम को वक्फ़ के निधि में जमा करेगा|

35. अधिकरण द्वारा सशर्त कुर्की.- (1) जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वह मुतवल्ली या कोई दुसरा व्यक्ति जिसे कोई संदाय करने के लिए धारा 33 को उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन आदेश दिया जा चुका है, वहाँ कथित आदेश के निष्पादन को पराजित करने या उसके अनुपालन में विलम्बन करने आशय से-

(क) उसकी सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का निस्तारण करने वाला है; या

(ख) उसकी सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के क्षेत्राधिकार

से हटाने वाला है, वह, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ, कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की, के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेगा|

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जब तक अधिकरण अन्यथा निर्देश नहीं देता है तब तक, कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति और उसके आंकलित मूल्य को आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) अधिकरण, मुतवल्ली या सम्बन्धित व्यक्ति को, यथास्थिति, इसके द्वारा नियत की जाने वाली एक कालावधि के भीतर या तो प्रतिभूति की आपूर्तित करने के लिए, ऐसी धनराशि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिकरण के निस्तारण पर पेश करने के लिए या रखने के लिए उस दशा में निर्देश दे सकेगा, जब आवश्यक हो, कथित सम्पत्ति या उसी के मूल्य या उसका ऐसा भाग जो धारा 34 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम समाधान करने के लिए पर्याप्त हो, या हाजिर होने और उसे यह कारण दर्शित करने के लिए निर्देश दे सकेगा क्यों उसको ऐसी प्रतिभूति की आपूर्ति नहीं करना चाहिए|

(4) अधिकरण आदेश में इस प्रकार से विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के सम्पूर्ण भाग या किसी भाग की सशर्त कुर्की का भी निर्देश दे सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन की गयी हर एक कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी, जैसे कि यह कथित संहिता के उपबंधों के अधीन कुर्की के लिए पारित किया गया एक आदेश होता।

अध्याय-V

वक्फ़ का पंजीकरण

36. पंजीकरण.- (1) प्रत्येक वक्फ़ चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व अथवा पश्चात् सृजित किया गया हो, बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत किया जावेगा।

(2) पंजीकरण हेतु आवेदन मुतवल्ली द्वारा दिया जावेगा:

परन्तु यह आवेदन वक्फ़ अथवा उसके वंशज अथवा वक्फ़ हिताधिकारी या किसी मुस्लिम जो उस वर्ग से सम्बन्धित है जिससे वक्फ़ सम्बन्धित है द्वारा दिया जावेगा|

(3) पंजीकरण हेतु आवेदन ऐसे प्रारूप में एवं इस तरीके से एवं ऐसे स्थान पर जो बोर्ड विनियम द्वारा निधारित करे, दिया जाएगा एवं इसमें निम्नानुसार, विवरण होगा-

(क) वक्फ़ सम्पत्ति की पहिचान हेतु पर्याप्त विवरण;

(ख) ऐसी सम्पत्तियों से सकल वार्षिक आय

(ग) वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में वार्षिक तौर पर भुगतान योग्य भू-राजस्व, उपकार दरें एवं कर की राशि;

(घ) वक्फ़ सम्पत्ति की आय वसूली में उपगत वार्षिक व्यय का अनुमान;

(ङ) वक्फ़ के अन्तर्गत इनके लिए हटाई राशि-

(i) मुतवल्ली का वेतन एवं व्यक्तियों के भत्ते;

(ii) शुद्ध धार्मिक प्रयोजनों;

(iii) खैराती योग्य प्रयोजनों; एवं

(iv) अन्य कोई प्रयोजनों;

(च) अन्य कोई बोर्ड द्वारा विनिमय द्वारा उल्लेखित विवरण।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ वक्फ़ विलेख की प्रतिलिपि संलग्न होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है अथवा प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की जा सकती यथा सम्भव

वक्फ़ ऐए उद्गम, प्रकृति एवं वक्फ़ के उद्देश्यों के पूर्ण विवरण जहाँ तक ये आवेदक की जानकारी में है अन्तर्निहित होंगे|

(5) उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक ऐसे आवेदन आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अभिवचनों के हस्ताक्षर एवं सत्यापन करने के लिए प्रावधानित तरीके से आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जावेगा।

(6) बोर्ड आवेदक से ऐसा अन्य विवरण अथवा जानकारी जो वह आवश्यक समझता है अपेक्षा कर सकता है|

(7) पंजीकरण के लिये आवेदन प्रापत होने पर बोर्ड पंजीकरण के पूर्व ऐसी जाँच कर सकता है जो वह आवेदन की प्रमाणिकता एवं विधिकता एवं इसके किसी विवरण की सत्यता के लिए उचित समझे एवं जब आवेदन वक्फ़ सम्पत्ति के प्रशासन करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है बोर्ड वक्फ़ का पंजीकरण करने के द्वारा दिया जाता है बोर्ड वक्फ़ का पंजीकरण करने के पूर्व वक्फ़ सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को आवेदन की सूचना देगा एवं उसको सुनेगा यदि वह सुने जाने की इच्छा करता है।

(8) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व सृजित वक्फ़ के मामले में पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे आरम्भ होने के 3 माह के भीतर दिया जावेगा एवं ऐसे आरम्भ होने के उपरांत सृजित वक्फ़ों के मामले में वक्फ़ सृजन की दिनांक से 3 माह के भीतर दिया जावेगा:

परन्तु वक्फ़ सृजन के समय बोर्ड के नहीं होने की दशा में, ऐसे आवेदन बोर्ड के सृजित होने की दिनांक से तीन माह के भीतर दिया जावेगा।

37. वक्फ़ का रजिस्टर.- (1) बोर्ड वक्फ़ रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ़ के सम्बन्ध में वक्फ़ विलेख की प्रतिलिपि जब उपलब्ध हो एवं निम्न विवरण अन्तर्निहित होंगे, नामत: -

(क) वक्फ़ का वर्ग;

(ख) मुतवल्ली का नाम;

(ग) वक्फ़ विलेख अथवा रूढ़ि अथवा प्रचलन के अन्तर्गत मुतवल्ली पद के उत्तराधिकार का नियम;

(घ) सभी वक्फ़ संपत्ति एवं इससे सम्बन्धित सभी विलेखों एवं दस्तावेजों का विवरण;

(ङ) पंजीकरण के समय प्रशासन योजना एवं व्यय योजना का विवरण;

(च) ऐसे अन्य विवरण जो विनियम द्वारा वहित किये जावें|

[2]"(2) मंडल ओकाफ पंजी में प्रविष्टि सम्पत्तियों के विवरणों को उस वक्फ़ संपत्ति के क्षेत्राधिकार के भू-अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

(3) भू-अभिलेख कार्यालय उपधारा (2) में उल्लेखित विवरणों की प्राप्ति स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, या तो उनकी आवश्यक प्रविष्टियाँ भू-अभिलेख में करेगा या धारा 36 अन्तर्गत वक्फ़ संपत्तियों के पंजीयन दिनांक से छ: मास की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियों को मंडल को संसूचित करेगा।"

38. बोर्ड की कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्तियाँ.- (1) इस अधिनियम में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट किये गये के होने पर भी, बोर्ड यदि इसकी यह राय है कि वक्फ़ के हित में वैसा करना आवश्यक है, तो सम्पूर्ण समय आंशिक समय के आधार पर या एक अवैतनिक सामर्थ्य में ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो विनियमनों द्वारा विहित किये जाये, ऐसे समर्थनकारी कर्मचारी के साथ एक कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा जिसे यह पांच लाख से कम होने वाली एक सकल वार्षिक आय रखने वाले किसी वक्फ़ के लिए आवश्यक समझता है:

परन्तु, नियुक्ति के लिए चुने गये व्यक्ति को इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए|

(2) उपधारा (1) क अधान नियुक्त किया गया प्रत्येक कार्यपालक अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस प्रकार के कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो मात्र वक्फ़ की सम्पत्ति के प्रशासन से सम्बन्धित हैं जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गयी है और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और बोर्ड के निर्देश, नियन्त्र और पर्यवेक्षण के अधीन उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा:

परन्तु, कार्यपालक अधिकारी जो पांच लाख से कम नहीं वार्षिक आय रखने वाले वक्फ़ के लिए नियुक्त किया जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ़ का बजट प्रस्तुत किया जाता है, वक्फ़ का लेखा जोखा नियमित तौर पर कायम रखा जाता है और वार्षिक हिसाब-किताब का विवरण ऐसी कालावधि के अन्तर प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि बोर्ड विनिर्दिष्ट करें|

(3) उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निःस्तारण करते समय, कार्यपालक अधिकारी वक्फ़ के मुस्लिम विधि द्वारा मंजूर किये गये किसी भी धामिक कर्तव्यों या किसी भी रूढ़ि या परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करेगा|

(4) कार्यपालक अधिकारी एवम् उसके कर्मचारी वृन्द के वेतनों एवम् भत्तों को बोर्ड द्वारा नियत किया जावेगा और ऐसे वेतनों की मात्रा को निर्धारित या नियत करते समय, बोर्ड वक्फ़ की आय, कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों का विस्तार एवम् प्रकृति पर सम्पर्क ध्यान देगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वेतनों एवम् भत्तों की रकम वक्फ़ की आय के गैर आनुपातिक नहीं होती है और इस पर एक अनावश्यक वित्तीय भार का संचालन नहीं करते हैं|

(5) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारी वृंद के वेतनों एवम् भत्तों का वक्फ़ निधि से बोर्ड द्वारा संदाय किया जायेगा और, यदि वक्फ़ कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप किसी भी अतिरिक्त आय का उत्पादन करता है, तो बोर्ड सम्बन्धित वक्फ़ निधि से वेतनों एवम् भत्तों पर व्यय की गयी रकमों प्रतिमूर्ति का दावा कर सकेगा।

(6) बोर्ड, पर्याप्त कारणोवश, और कार्यपालक अधिकारी या उसके स्टाफ के एक सदस्य को, सुनवाई किये जाने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके पद कार्यपालक अधिकारी या उसके स्टाफ के सदस्य को निलम्बित, पदच्युत या हटा सकेगा।

(7) कोई भी कार्यपालक अधिकारी या उस स्टाफ का एक सदस्य जो उप-धारा (6) के अधीन पारित किये गये हटाये जाने या पदच्युति के आदेश से व्यथित है, आदेश की संसूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और अधिकरण ऐसे प्रस्तुतीकरण पर जैसा बोर्ड मामले को प्रस्तुत करे विचार करने के पश्चात् और कार्यपालक अधिकारी या उसके स्टाफ के सदस्य को सुनवाई किये जाने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उपांतरण कर सकेगा या पलट सकेगा।

39. वक्फ़ों के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियाँ जो अस्तित्वहीन हो गयी है.- (1) बोर्ड, यदि संतुष्ट हो जाता है कि वक्फ़ के उद्देश्य या उसका कोई भाग अस्तित्वहीन हो गया है, चाहे ऐसी समाप्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले या बाद में हुई हो, तो ऐसे वक्फ़ से सम्बन्ध रखने वाली संपत्तियों और निधियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाने वाली एक जाँच करायेगा|

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने पर बोर्ड एक आदेश पारित करेगा-

(क) ऐसे वक्फ़ की सम्पत्ति एवम् निधियों को विनिर्दिष्ट करते हुए;

(ख) यह निर्देशित करते हुए ऐसे वक्फ़ की किसी सम्पत्ति या निधि से सम्बन्धि जो वसूल की

जा चुकी है, वह किसी भी वक्फ़ सम्पत्ति के नवीनीकरण के लिए उपयोजित की जायेगी या उसका उपयोग किया जायेगा और जहाँ, ऐसे नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है या जहाँ इस प्रकार के नवीनीकरण के लिए निधियाँ सम्भव नहीं होती, वहाँ वह, धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के उप- खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए विनियोजित की जायेगी|

(3) बोर्ड, यदि इसके पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई भी ईमारत या दूसरे स्थान जिसका प्रयोग निर्देश पर धार्मिक उद्देश्य, उपदेश या दान के लिए किया जा रहा था चाहे यह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या पश्चात् उस उद्देश्य के लिए प्रयोग करना रोक दिया जाता है, ऐसी ईमारत या दूसरे स्थान के कब्जे के प्रत्यद्धरण को निर्देशित करने वाले एक आदेस के लिए अधिकरण के समक्ष एक आदेन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) अधिकरण, यदि, इस प्रकार की जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझता हो, संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी ईमारत या दूसरा स्थान: -

(क) वक्फ़ सम्पूत्ति है;,

(ख) भूमि के अर्जन से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्ति होनी वाली किसी विधि के अधीन अर्जित नहीं की गयी है या ऐसी किसी प्रक्रिया के अधीन नही है, या भूमि सुधारों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत होने वाली विधि के अधीन राज्य सरकार में निहित नहीं की गयी है; और

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति के व्यवसाय में नहीं है जिसे इस प्रकार की ईमारत या दूसरे स्थान का अर्जन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किया गया है आदेश पारित करेगा;

(i) ऐसे किसी भी व्यक्ति से ऐयु ईमारत या स्थान के प्रत्युद्धरण करने का निर्देश देते हुए जिसका उसके ऊपर अनाधिकृत रूप से कब्जा हो सकता है; और

(ii) यह निर्देशित करते हुए कि ऐसी सम्पत्ति या स्थान का प्रयोग पूर्व की भाँति धार्मिक प्रयोजन या उपदेश के लिए किया जाए, या यदि ऐसा प्रयोग सम्भव न हो, तो धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किया जाए।

40. सम्पत्ति वक्फ़ संपत्ति है. का निर्णय.- (1) बोर्ड किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी संग्रहीत कर सकता है| जिसके बारे में वक्फ़ सम्पत्ति होने का विश्वास करने का कारण रखता है एवं यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विशिष्ट संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है अथवा नहीं या क्या वक्फ़ सुन्नी वक्फ़ है अथवा शिया वक्फ़ यह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो यह उचित समझता है प्रश्न को विनिश्चित कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि यह अधिकरण द्वारा प्रतिसंहृत अथवा संशोधित नहीं किया जाता।

(3) यहाँ बोर्ड के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी न्यास अथवा सोसायटी की कोई सम्पत्ति भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत वक्फ़ संपत्ति है, बोर्ड इस अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के हुए ऐसी संपत्ति के सम्बन्ध में जाँच कर सकता है एवं यदि ऐसी जाँच करने के उपरांत बोर्ड की यह संतुष्टि हो जाती है कि संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है तो न्यास अथवा सोसायटी से जैसा भी मामला हो, ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत वक्फ़ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कह सकेगा अथवा यह कारण दर्शित करने के लिए कह सकेगा कि

क्यों न ऐसी संपत्ति को इस तरह पंजीकृत कराने के लिए कह सकेगा अथवा यह कारण दर्शित करने के लिए कह सकेगा कि क्यों न ऐसी संपत्ति को इस तरह पंजीकृत किया जावे:

परन्तु ऐसे सभी मामलों में इस उपधारा अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का सूचना पत्र उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा न्यास अथवा सोसायटी पंजीकृत की गयी है, दिया जावेगा|

(4) बोर्ड, उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुसरण में ऐसे कारण पर सम्यक विचार करने के पश्चात् जिसे कि दर्शित किया जाय, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि यह उचित समझ सकेगा और बोर्ड द्वारा किया गया वैसा आदेश अंतिम होगा, जब तक इसको एक अधिकरण द्वारा प्रतिसंहृत या संशोधित नहीं कर दिया जाता है|

41. वक्फ़ पंजीकरण एवं रजिस्टर संशोधन करने की शक्ति.- बोर्ड मुतवल्ली को वक्फ़ के पंजीकरण के आवेदन के लिए अथवा वक्फ़ के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रदत्त करने के लिए निर्देशित कर सकता है अथवा स्वयं वक्फ़ को पंजीकृत कर सकता है अथवा किसी भी समय वक्फ़ों के रजिस्टर को संशोधित कर सकता है।

42. [2]ओकाफ के प्रबन्ध में परिवर्तन की अधिसूचना करना.- (1) मुतवल्ली के हटाये जाने या सेवा निवृत्ति या मृत्यु के कारण पंजीकृत वक्फ़ के प्रबन्ध में किसी परिवर्तन के मामले में, आने वाला मुतवल्ली एवं अन्य कोई व्यक्ति तत्काल परिवर्तन की बोर्ड को सूचित करेगा|

(2) धारा 36 मे वर्णित किसी विवरण में अन्य कोई परिवर्तन होने के 3 माह के भीतर ऐसे परिवर्तन से बोर्ड को सूचित करेगा|

43. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत [1]ओकाफ रजिस्ट्रीकृत समझे जाएगें.- इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किये गये किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी वक्फ़ को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले तत्समय प्रवृत होने वाली किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वहाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वक्फ़ को रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा और ऐसे प्रारम्भ से पहले किसी भी रजिस्ट्रीकरण को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-VI

[1]ओकाफ खातों का हिसाब रखना

44. बजट.- (1) [2]वक्फ़ का हर एक मुतवल्ली, हर वर्ष, उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियाँ एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के बाबत् एक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा बजट मुतवल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम [2]30 दिनों पहले बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा और निम्नलिखित के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा-

(i) वक्फ़ के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए;

(ii) वक्क-सम्पत्ति के पोषण एवम् परिक्षण के लिए;

(iii) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तथा वक्फ़ पर बाद्धकारी अस्तित्व शील रहने वाले कार्यो के लिए।

[3](3) उस मामले में जब मंडल के विचार में बजट का कोई विषय वक्फ़ के उद्देश्यों तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, तब मंडल जैसा वह उचित समझे, उसे लुप्त करने या वृद्धि करने हेतु निर्देश दे सकेगा।

(4) यदि वित्तीय वर्ष के अनुक्रम में मुतवल्ली, विभिन्न शीराओं के अधीन प्राप्ति या खर्च की

जाने वाली रकम के वितरण के बाबत बजट में किये गये प्रावधानों को उपांतरित करना आवश्यक पाता है, तो वह बोर्ड को पूरक या संशोधित बजट प्रेषित कर सकेगा और उप-धारा (3) के उपबंध, यथासाध्य, ऐसे पूरक या संशोधित बजट के प्रति लागू होंगे।

45. बोर्ड के प्रत्यक्ष के अधीन वक्फ़ के बजट का तैयार किया जाना.- (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस प्रकार के प्ररूप और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए, उसमें प्राक्कलित प्राप्तियाँ और खर्च को प्रदर्शित करते हुए, बोर्ड के प्रबन्ध निर्देश के अधीन वक्फ़ों में हर एक के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बाबत एक बजट तैयार करेगा और इसे बोर्ड को इसकी मंजूरी के लिए प्रेषित करेगा|

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी वृद्धि का विवरण, यदि कोई है, देते हुए कथन को तैयार करेगा, यदि कोई बोर्ड के प्रबन्ध निर्देश के अधीन प्रत्येक वक्फ़ की आय में और ऐसे कोई कदम हो जिन्हें इसके और अच्छे-प्रबन्ध के लिए उठाया गया है तथा वर्षो के दौरान उससे प्रोद्भूत होने का परिणाम देती है|

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियमित लेखा या हिसाब रखेगा और बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन प्रत्येक वक्फ़ के उचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा|

(4) उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया प्रत्येक बजट, धारा 46 की अपेक्षाओं का अनुपालन और इस प्रयोजन के लिए, वक्फ़ के मुतवल्ली को उसमें निर्देश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशों के रूप में या के अर्थ में समझा जायेगा|

(5) बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन प्रत्येक वक्फ़ के लेखा या लेखा परीक्षण का भार वक्फ़ की आय पर विचार किये बिना ही इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्य निधि स्थानीय परीक्षक द्वारा या किसी दूसरे अधिकारी द्वारा अपने हाथ में लिया जायेगा।

(6) धारा 47 की उपधारा (2) एवम् (3) के उपबन्ध तथा धारा 48 एवम् 49 के उपबंध, जहाँ तक, वे इस धारा के उपबंधों के संगत नहीं है, इस धारा में निर्देशित लेखा के लेखा परीक्षण प्रति लागू होंगे।

(7) जहाँ कोई वक्फ़, बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन होता है, वहाँ ऐसे प्रशासनिक प्रभार जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये बोर्ड के वक्फ़ के द्वारा संदेय होंगे:

परन्तु, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रशासनिक प्रभारों के रूप में प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन वक्फ़ की सकल वार्षिक आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं ग्रहण करेगा|

46. वक्फ़ों के खातों की प्रस्तुति.- (1) प्रत्येक मुतवल्ली नियमित खातों को रखेगा|

(2) जिन दिनांक को धारा 36 के सन्दर्भित आवेदन को उसके आगामी [2]जुलाई के प्रथम दिन के पूर्व एवं उसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष [2]जुलाई के प्रथम दिन के पूर्व प्रत्येक वक्फ़ का मुतवल्ली खातों के पूर्ण एवं सत्य विवरण ऐसे प्ररूप में एवं ऐसे विवरण अन्तर्निहित करते हुए जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 मास के दौरान अथवा कथित अवधि के उस भाग के दौरान जिसके दौरान अधिनियम के प्रावधान वक्फ़ को प्रयोज्य किये गये हैं मुतवल्ली द्वारा वक्फ़ की ओर से सभी प्राप्त की गई, व्यय की गयी राशियों को, तैयार करेगा एवं प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जिस दिनांक को वार्षिक खाते बन्द होते हैं वह बोर्ड के विवेक के अधीन परिवर्तित की जा सकती है।

47. वक्फ़ खातों का अंकेक्षण.- (1) वक्फ़ खातों का जो धारा 46 के अन्तर्गत बोर्ड को प्रस्तुत किये गये हो का अंकेक्षण एवं परीक्षण निम्नलिखित तरीके से होगा, नामत: -

(क) उस मामले में जहाँ वक्फ़ की कोई आय नहीं अथवा शुद्ध वार्षिक आय [2]पचास हजार

रुपये से अधिक नहीं है, खातों का प्रस्तुत करना धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्याप्त पालन माना जावेगा एवं ऐसे वक़्फ़ों के दो प्रतिशत खातों का बोर्ड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा वार्षिक अंकेक्षण किया जावेगा।

(ख) दस हजार रुपये से अधिक शुद्ध वार्षिक आय वाले वक़्फ़ के खातों का लेखा परिक्षण वार्षिक तौर पर या अन्य ऐसे अन्तरालों में, जैसा विहित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई पैनल से बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा तथा ऐसा पैनल तैयार करते समय राज्य सरकार लेखा परिक्षकों के परिश्रमों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी।

[3](ग) राज्य सरकार (मंडल को सूचित करते हुए) किसी भी समय किसी वक़्फ़ के खातों का राज्य के स्थानीय कोष अंकेक्षण परीक्षक अथवा राज्य सरना द्वारा प्रयोजन के लिए निर्देशित अन्य किसी अधिकारी द्वारा करा सकेगी।

(2) अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट मे अन्य बातों में अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्ययों अथवा राशि वसूली में विफलता अथवा अन्य सम्पत्ति उपेक्षा अथवा दुराचरण के कारण एवं ऐसे अन्य विषय जो अंकेंक्षक रिपोर्ट में आवश्यक समझता है के सभी मामलों को विनिर्दिष्ट करेगा एवं रिपोर्ट में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जो अंकेंक्षक की राय में ऐसे व्यय अथवा विफलता के लिए दायी हैं, अन्तर्निहित होगा एवं अंकेंक्षक प्रत्येक ऐसे मामले मे ऐसे व्यय अथवा हानि जो ऐसी व्यक्ति से देय है प्रमाणित करेगा।

(3) वक़्फ़ के खातों की अंकेक्षण की लागत उस वक़्फ़ के कोष से दी जावेगी :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऐसे वक़्फ़ों के सम्बन्ध में जिनकी वार्षिक [2]आय पचास हजार रुपये से अधिक है के सम्बन्ध में निर्मित पेनल में से नियुक्त अंकेक्षकों का पारिश्रमिक उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक मान अनुसार भुगतान किया जावेगा:

परन्तु आगे यह भी कि जहाँ किसी वक़्फ़ के खातों का अंकेक्षण राज्य के स्थानीय कोष के परीक्षक अथवा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है तो ऐसे अंकेक्षण की लागत ऐसे वक़्फ़ की वार्षिक आय के डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी एवं ऐसी लागत सम्बन्धित वक़्फ़ के कोष से दी जावेगी।

48. अंकेक्षण रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश पारित करना.- (1) बोर्ड अंकेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करेगा एवं इसमें वर्णित मामले के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से स्पष्टीकरण माँग सकेगा एवं बोर्ड जैसा भी मामला ही रिपोर्ट पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझता है धारा 47 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अंकेक्षण द्वारा प्रमाणित राशि की वसूली एवं आदेश को सम्मिलित करते हुए।

(2) बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश से व्यक्ति मुतवल्ली या अन्य कोई व्यक्ति उसके द्वारा आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर, अधिकरण में, आदेश को अपास्त करने अथवा संशोधन करने के लिए आवेदन कर सकेगा एवं अधिकरण ऐसी साक्ष्य लेने के उपरान्त जो उचित समझता है आदेश को पुष्टि अथवा संशोधित कर सकता है अथवा ऐसी प्रमाणित राशि का या जो सम्पूर्णत: या अंशत: परिहार कर सकता है एवं लागत के सम्बनध मे ऐसे आदेश भी कर सकता है जो यह प्रकरण की परिस्थितियों में उचित समझता है 1

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया गया आदेश अधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि धारा 47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित राशि प्रथमत: अधिकरण

में जमा न कर दी गयी हो एवं अधिकरण को उपधारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पारित किये गये आदेश के प्रवर्तन को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा|

(4) अधिकरण द्वारा उपधारा (2) के अन्तर्गत पारित आदेश अंतिम होगा|

(5) प्रत्येक ऐसी वसूली राशि जिसका उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत आदेश दिया गया है धारा 34 अथवा धारा 35 में विनिर्दिष्ट तरीके से वसूली योग्य होगी, मानों कथित आदेश धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विनिश्चित किया राशि की वसूली का आदेश है, जहाँ ऐसी राशि बिना भुगतान के रहती है|

49. प्रमाणित देय राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने योग्य.- (1) धारा 47 के अन्तर्गत अंकेक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति पर देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि जब तक कि ऐसा प्रमाण-पत्र बोर्ड अथवा अधिकरण के आदेश द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 48 के अन्तर्गत संशोधित अथवा निरस्त नहीं हो जाता एवं प्रत्येक ऐसी राशि जो संशोधित प्रमाण-पत्र के आधार पर देय हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा बोर्ड द्वारा जारी माँग के निर्वहन के 60 दिवस के उपरान्त भुगतान की जावेगी|

(2) यदि ऐसा भुगतान उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किया जाता, बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर भुगतान योग्य राशि सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अथवा सुना जाकर भू-राजस्व के बकाया के तरीके वसूल की जाएगी|

50. मुतवल्ली के कर्त्तव्य.- प्रत्येक मुतवल्ली का यह कर्त्तव्य होगा कि -

(क) बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना, इस अधिनियम के प्रावदान अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अनुसार;

(ख) बोर्ड द्वारा चाहे गए इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा आदेश के अनुसार ऐसे विवरण प्रस्तुत करना एवं ऐसी जानकारी अथवा विवरण प्रदान करना जिसकी समय-समय पर अपेक्षा की जाए;

(ग) वक्फ़ सम्पत्ति, इसके खातों या अभिलेखों या विलेखों एव दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देना;

(घ) सभी लोक देयकों का उन्मोचन करना; एवं

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अर्न्तत विधि पूर्ण तरीके से अपेक्षित है।

51. बोर्ड की अनुज्ञा के बिना वक्फ़ सम्पत्ति का अन्य संक्रामण शून्य होगा.- [2](1) वक्फ़-विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए किसी अचल सम्पत्ति, जो वक्फ़ सम्पत्ति है, का पट्टा शून्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा पट्टे को मंडल की पूर्व अनुमति से प्रभावी नहीं किया गया हो;

परन्तु यह कि कोई भी मस्जिद, दरगाह, खानगाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा का कोई पट्टा नहीं किया जाएगा इसके सिवाय कि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेशों में स्थित ऐसे अनुपयोगी कब्रिस्तान को वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम सन् 2013 की प्रारम्भिक दिनांक के पूर्व यदि पट्टा दे दिया गया हो।

(1-क) वक्फ़ की सम्पत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरम्भ से शून्य होंगे;

परन्तु यह कि यदि इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु किसी वक्फ़ सम्पत्ति का विकास हेतु मंडल संतुष्टि है, तब मंडल, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के उपरांत, ऐसी सम्पत्ति का विकास ऐसे अभिकर्ता एवं ऐसी प्रक्रिया में, जैसा कि मंडल द्वारा निश्चित किया गया हो एवं ऐसी

वक्फ़ सम्पत्ति के विकास के प्रस्ताव को मंडल के समक्ष रखा जाएगा, जिसे मंडल के कुल सदस्यों के संख्या के दो तिहाई बहुमत से पास किया जाएगा|

परन्तु आगे यह कि लोक-उद्देश्यों हेतु इस उपधारा में विहित निहित प्रावधानों से वक्फ़ सम्पत्ति का अधिहरण भू-अर्जन अधिनियम 1884 या तत्संबंधित भू-अर्जन संबंधी अन्य विधि अंतर्गत प्रभावित नहीं होगा, यदि ऐसा अधिग्रहण मंडल की सम्मति से किया गया है;

परन्तु यह भी कि-

(क) अधिग्रहण से लोक-आराधना (विशेष प्रावधानों) संबंधी स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(ख) जिस उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वह निर्विवाद रूप से लोक-उद्देश्य होना चाहिए;

(ग) उस उद्देश्य हेतु अन्य वैकल्पिक अधिकार या न्यून भूमि अनुपलब्ध थी; एवं

(ध) वक्फ़ के उद्देश्यों एवं हितों की पर्याप्त सुरक्षार्थ हेतु प्रचलित बाजार दर से अर्जित सम्पत्ति का मुआवजा या उपयुक्त भूमि समुचित सोलेशियम सहित प्रदत्त की जाना चाहिए।"

52. धारा 51 के उल्लंघन में अंतरिम की गयी वक्फ़ की सम्पत्ति की वसूली.- (1) यदि बोर्ड, इस प्रकार के तरीके से, जैसा कि विहित किया जाए. कोई जाँच करने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि वक्फ़ की किसी अचल सम्पत्ति को जिसको कि धारा 38 के अधीन कायम रखे गए वक्फ़ के रजिस्टर मे प्रविष्ट किया गया, [2]धारा 56 के उपबन्धों के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना ही अंतरित किया जा चुका है, तो वह उस कलेक्टर को तलब कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए स्थिर होती है और इसके सम्पत्ति के कब्जे का परिदान कर सकेगा|

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिग्रहण की प्राप्ति पर, कलेक्टर आदेश की तामील की तिथि से तीस दिनों के भीतर सम्पत्ति के कब्जेधारी को निर्देशित करने वाला एक आदेश पारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया हर एक आदेश की तामील-

(क) उस व्यक्ति को आदेश देकर या डाक द्वारा इसे भेजकर की जायेगी जिसके लिए यह आशयित होता; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति खोजा नहीं जा सकता, तो निवास स्थान या कारबार के उसके पहले से ही ज्ञात के किसी दृश्यमान भाग पर आदेश को चिपका करके या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष या नौकर को आदेश प्रदान करके या उसकी सम्पत्ति के किसी प्रत्यक्ष भाग पर चिपकाये जाने का आदेश प्रदान करके या उसकी सम्पत्ति के किसी प्रत्यक्ष भाग पर चिपकाये जाने का आदेश प्रदान करके तामील की जायेगी:

परन्तु, जहाँ वह व्यक्ति जिसको आदेश की तामील की जानी है, एक अप्राप्तवय है, वहाँ वह उसके परिवार के संरक्षक या किसी व्यस्क पुरुष या नौकर को तामील, अप्राप्तवय को ही हुई तामील समझी जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तामील की तिथि से तीन दिनों की एक कालावधि के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी सम्पत्ति स्थित है और ऐसी अपील पर अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा|

(5) जहाँ उपधारा (2) के अधीन पारित किये गये आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय अवधि अपील के दायर किये गये बिना ही

समाप्त हो गयी है या कोई अपील उस समय के भीतर जो फाइल की गयी, वह खारिज कर दी गयी है, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करेगा जिसके बाबत आदेश किया जा चुका है ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो बोर्डके प्रयोजन और परिदान के लिए आवश्यक समझी जाये।

(6) कलेक्टर का, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे नियमों द्वारा मार्ग दर्शन किया जायेगा जैसा कि विनियमनों द्वारा उपबंधित किया जाये।

52-क. (1) जो कोई, अस्थायी या स्थायी रूप से किसी चल या अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है, का अंतरण, क्रय या आधिपत्य, मंडल की पूर्व अनुमति के बिना करता है, वह सश्रम कारावास से दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक विस्तृत हो सकता है;

परन्तु यह कि ऐसी अंतरित वक्फ़ संपत्ति, तत्समय प्रवृत किसी विधि के प्रावधानों को हानि पहुँचाए बिना, उस हेतु बिना किसी क्षतिपूर्ति के मंडल में वेष्टित होगी।

(2) इस धारा अन्तर्गत कोई अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2 सन् 1974) में किसी बात के होते हुए भी, संज्ञेय एवं अजमानती होगी।

(3) इस धारा अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान, मंडल या राज्य शासन के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उस हेतु परिवाद प्रस्तुति के बिना कोई न्यायालय नहीं लेगा।

(4) इस धारा अन्तर्गत किसी अपराध क विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्न स्तर का न्यायालय नहीं करेगा।"

53. वक्फ़ की ओर से सम्पत्ति क्रय पर प्रतिबन्ध.- वक्फ़ विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुई भी किसी वक्फ़ कोष से वक्फ़ की ओर से अथवा वक्फ़ के लिए कोई अचल सम्पत्ति बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय क्रय नहीं की जावेगी एवं बोर्ड ऐसी अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि ऐसी सम्पत्ति का अर्जन वक्फ़ के लिए आवस्यक या हित में है एवं भुगतान के लिए प्रस्तावित मूल्य पर्याप्त एवं समुचित है:

परन्तु, ऐसी अनुज्ञा दिये जाने के पूर्व प्रस्तावित संव्यवहार से संबंधित विवरण शासकीय राजपत्र में इस बाबत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करते हुए प्रकाशित किया जावेगा एवं बोर्ड सुझावों एवं आपत्तियों जो उसके द्वारा मुतवल्ली अथवा वक्फ़ में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों से प्राप्त किये गये हो विचार करने के उपरान्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

54. वक्फ़ सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना.- (1) चाहे शियत प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से जब कभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह विचार करता है कि किसी भूमि, भवन, खाली स्थान अथवा अन्य सम्पत्ति जो वक्क सम्पत्ति है एवं जो इस रूप में इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की गई है पर अतिक्रमण किया गया है वह अतिक्रामक को कारण दर्शित सूचना-पत्र अतिक्रमण के विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए देगा एवं उससे सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उसे कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि क्यों न ऐसी विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जावे, किया जावेगा एवं इस सूचना-पत्र की एक प्रति संबंधित मुतवल्ली को भी भेजेगा|

(2) उपधारा (1) में सन्दर्भित सूचना पत्र उस रीति में निर्वहित किया जायेगा जो निधारित की जावेगी।

(3) यदि सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त एवं निधारित रीति से जाँच संचालित करने के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी की यह सन्तुष्टि हो जाती है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है एवं ऐसी वक्फ़ सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया गया है वह अतिक्रामक से अतिक्रमण किया गया है [2]वह अभिकरण में ऐसे अतिक्रामक के अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश प्राप्त यर्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा एवं भूमि, भवन, स्थल अथवा अन

सम्पत्ति जिस पर अतिक्रमण किया गया है, का आधिपत्य वक्फ़ के मुतवल्ली को सुपुर्द की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित करेगा।

[3](4) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अतिक्रमण हटाने संबंधी आवेदनपत्र प्राप्ति पर अभिकारण वक्फ़ संपत्ति को रिक्त करने हेतु आदेश, जिसमें कारण अभिलिखित होंगे, देगा कि सभी व्यक्ति जो वक्फ़ संपत्ति या उसके किसी हिस्से के आधिपत्य में हैं, ऐसी संपत्ति को रिक्त कर देवें एवं ऐसे आदेश की प्रति वक्फ़ संपत्ति के बाहरी दरवाजे पर किसी दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा करवाएगा;

परन्तु यह कि अभिकरण अतिक्रमण हटाने का आदेश देने के पूर्व उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, को सुनवाई हेतु अवसर देगा|

(5) यदि ऐसा व्यक्ति अतिक्रमण हटाने इए आदेश का पालन अन्तर्गत उपधारा (2) के चश्पा करने के दिनांक से पैंतालीस दिवस में नहीं करता है तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत व्यक्ति वक्फ़ संपत्ति से उस व्यक्ति का आधिपत्य हटाकर उसका रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लेगा।

55. धारा 54 के अन्तर्गत दिये गये आदेश को प्रभावी करना.- जहाँ धारा 54 की उपधारा [2](4) के अन्तर्गत किसी अतिक्रमण को हटाने इए लिए आदेशित-व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अतिक्रमण को हटाने में लोप करता है अथवा विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, भूमि, भवन, स्थल अथवा अन्य सम्पत्ति जिससे आदेश सम्बन्धित है, कथित समयावधि के भीतर रिक्त करने में विफल रहता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भूमि, भवन, स्थल अथवा अन्य सम्पति उस उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जिसकी स्थानीय सीमा की अधिकारिता के अन्तर्गत स्थित है अतिक्रामक निष्कासित करने के लिए आवेदन कर सकेगा एवं जिस पर मजिस्ट्रेट अतिक्रामक को अतिक्रमण हटाने अथवा भूमि, भवन, स्थल अथवा अन्य सम्पत्ति रिक्त करने जैसा भी मामला हो, निर्देश देते हुए एवं इसका अधिपत्य सम्बन्धित मुतवल्ली को परिदान करने के लिए आदेश पारित करेगा एवं आदेश के पालन में चूक होने, अतिक्रमण हटाने या भूमि, भवन, स्थल अथवा अन्य सम्पत्ति के अतिक्रामक को निष्कासित करने जैसा भी मामला हो, कर सकेगा एवं इस प्रयोजन के लिए ऐसी पुलिस सहायता जो आवश्यक हो प्राप्त कर सकेगा।

[1]55-क. अनाधिकृत आधिपत्याधिकारियों द्वारा वक्फ़ सम्पत्ति पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निराकरण- (1) जहाँ धारा 54 उपधारा (4) अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी वक्फ़ सम्पत्ति से निष्कासित किया जाना है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिस व्यक्ति से वक्फ़-सम्पत्ति का आधिपत्य लिया गया है, उसे चौदह दिवस का सूचनापत्र देने के उपरांत एवं सूचना पत्र को कम से कम एक समाचार पत्र में मुद्रित करवाने के उपरान्त और ऐसे सूचनापत्र के तथ्यों को सम्मिलित करते हुए इश्तहार ऐसी वक्फ़ सम्पत्ति के दृष्टिगोचर स्थान पर चश्पा करवाने के उपरांत वक्फ़ सम्पत्ति की परिसीमा में छोड़ी गई सम्पत्तिय को हटाएगा या हटवाएगा या उसे लोक-नीलाम द्वारा निराकरित करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) अंतर्गत किसी सम्पत्ति का विक्रय किया गया है, वहाँ विक्रय राशि में से अतिक्रमण हटवाने संबंधी यदि कोई व्यय राशि है, उसको काटते हुए, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकारी या निगमित अधिकारी को देय अवशेष किराये की राशि, क्षति या व्ययित राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति, जैसा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उसके जाने की पात्रता है, को भुगतान करवाएगा,

परन्तु यह कि जहाँ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उस व्यक्ति को विनिश्चित करने में असमर्थ रहता है जिसे अवशेष देय राशि या ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हेतु ऐसे विक्रय को वह अभिकरण को

सन्दर्भित करेगा एवं तत्संबंध में अभिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा,"

56. वक्फ़ सम्पत्ति पट्टे पर देने की शक्तियों पर प्रतिबन्ध- (1) किसी अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है, को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे अथवा उपपट्टे पर दिया जाना शून्य होगा, एवं कोई प्रभाव नहीं होगा, भले वक्फ़ विलेख अथवा वक्फ़ दस्तावेज अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे कुछ भी अन्यथा अन्तर्निहित हो।

[2]परन्तु यह कि आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा या स्वास्थ्य उद्देश्यों हेतु राज्य शासन की स्वीकृति से तीस वर्ष की अवधि तक किसी भी अवधि के लिए द्एप्से उद्देश्यों एवं अवधि हेतु, जैसा कि केन्द्र शासन द्वारा विनिर्मित नियमों में विनिर्धारित किया गया हो, पट्टे पर दी जा सकती है,

परन्तु आगे यह कि किसी अचल वक्फ़ सम्पत्ति, जो कृषि भूमि है, तीन वर्ष से अधिक अवधि हेतु पट्टा वक्फ़नामा में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में निहित किसी के होते हुए शून्य एवं अप्रभावी होगा;

परन्तु यह भी कि वक्फ़-सम्पत्ति को पट्टे पर देने के पूर्व मंडल द्वारा ऐसे पट्टे के विवरण एवं बोलियाँ आमंत्रित करने हेतु निविदा कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय या संभागीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाए जाएंगे;

[3](2) किसी अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है को 1 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष से अनधिक अवधि पर पट्टे अथवा उपपट्टे पर दिया जाना शून्य होगा एवं कोई प्रभाव नहीं रखेगा जब तक कि इसे बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से नहीं किया जाता चाहे वक्फ़ विलेख अथवा दस्तावेज अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्यथा कुछ भी वर्णित क्यों न हो|

[2](3) बोर्ड इस धारा के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने अथवा नवीनीकृत किये जाने की अनुज्ञा की शर्तो एवं निर्बन्धों को हितबद्ध पट्टा अथवा उपपट्टा दिया जाना अथवा नवीनीकृत किया जाना उस रीति में जो यह निर्देशित करे, के पुनरीक्षण के विषयाधीन होगा|

[3]"परन्तु यह कि वक्फ़ संपत्ति को तीन वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर दिए जाने के संबंध में मंडल द्वारा शीघ्रता से राज्य शासन को सूचित किया जाएगा एवं तत्पश्चात् उस दिनांक से, जिसको मंडल ने राज्य शासन को सूचित किया है, पैतालीस दिवस व्यतीत होने के पश्चात् वह पट्टा प्रभावशील हो जाएगा;

(4) इस धारा के अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा विनिर्मित प्रत्येक नियम उसके विनिर्माण होने के उपरान्त जितनी जल्दी हो सके, संसद के दोनों सदनों में जब उनका सत्र कुल तीस दिवस हेतु, जो एक सत्र या दो या अधिक लगातार सत्र संयुक्त रूप से नियत हों, एवं यदि, सत्र समाप्ति के तुरन्त शुरू होने वाले सत्र में या उपरिकथित आगामी सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदन उस नियम में कुछ सुधार के साथ या दोनों सदन उसे विनिर्मित नहीं किए जाने पर सहमत हों, तब वह नियम उस रूप में या संशोधित प्रारूप में प्रभावी होगा, या अप्रभावी होगा, जैसी भी स्थिति हो, इसलिए कैसे भी ऐसा सुधार या लोप से पूर्व में कृत किसी कार्य को क्षति पहुँचाए बिना प्रभावशील होगा|"

57. वक्फ़ सम्पत्ति की आय से निश्चित लागत भुगतान का मुतवल्ली अधिकारी होना.- वक्फ़ विलेख में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक मुतवल्ली वक्क सम्पत्ति की आय से धारा 36 के अन्तर्गत किसी विवरण, दस्तावेज अथवा प्रतियों को प्रस्तुत करने के प्रयोजन के समर्थ होने के लिए अथवा धारा 46 के अन्तर्गत किसी आधार पर अथवा बोर्ड द्वारा अपेक्षित किसी जानकारी अथवा दस्तावेज अथवा बोर्ड के निर्देशो को उसके द्वारा करने में समर्थ होने के प्रयोजन से किया गये व्ययों को भुगतान कर सकेगा|

58. मुतवल्ली द्वारा चूक करने के मामले में देयकों को भुगतान करने की बोर्ड की शक्ति.- (1) जहाँ मुतवल्ली शासन अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय भू-राजस्व, उपकर, दरें एवं कर, को भुगतान करने से इन्कार करता है अथवा विफल रहता है तो बोर्ड वक्फ़ सम्पत्ति से वसूल कर सकता है एवं ऐसी भुगतान की गई राशि के 12-1/2 प्रतिशत से अनाधिक क्षति भी वसूल कर सकता है|

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत देय कोई राशि बोर्ड वक्फ़ सम्पत्ति से देयकों को भुगतान कर सकता है और जारी प्रमाण-पत्र पर सम्बन्धित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त बकाया भू-राजस्व की रीति से वसूल किया जायेगा|

59. आरक्षित कोष का सृजन.- शासन अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय किराया एवं भू-राजस्व दरें एवं किराये के भुगतान के प्रावधान करने के प्रयोजन से, वक्फ़ सम्पत्ति की मरम्मत के व्ययों की उन्मुक्ति के लिए एवं वक्फ़ सम्पत्ति के परीक्षण के लिए बोर्ड वक्फ़ की आय से आरक्षित कोष से सृजन एवं देख-रेख की ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझता है निर्देश दे सकता है|

60. समय का विस्तार.- बोर्ड यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत मुतवल्ली द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित किसी कृत्य के समय को विस्तारित कर सकता है|

61. जुर्माना.- (1) यदि मुतवल्ली विफल रहता है-

(क) वक्फ़ पंजीकरण आवेदन करने के लिए;

(ख) इस अधिनियम के द्वारा यथा अपेक्षित विवरण कथन अर्थात् खाते अथवा रिटर्न प्रस्तुत करने में;

(ग) बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी अथवा विवरण करने में;

(घ) वक्फ़ सम्पत्ति, इससे संबंधित खाते अथवा अभिलेख अथवा दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति में;

(ङ) यदि बोर्ड अथवा अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया हो तो किसी वक्फ़ सम्पत्ति का अधिपत्य परिदान करने में;

(च) बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में;

(छ) किसी लोक देयक के उन्मोचन में; अथवा

(ज) ऐसा अन्य कृत्य करने में जिसको वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा द्वारा करने के लिए विधि पूर्ण तरीके से अपेक्षित है,

उसे जुर्माना जो [2]10,000 रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा, जब तक वह न्यायालय या अधिकरण को सन्तुष्ट नहीं कर देता कि उसकी विफलता का युक्तियुक्त कारण था । उपखंड (ङ) से (ज) के अपालन पर वह ऐसी अवधि के कारावास की सजा से दण्डनीय होगा जिसका विस्तार छः मास तक हो सकेगा एवं अर्थदण्ड भी, जिसका विस्तार दस हजार रूपये तक हो सकेगा ।

(2) उपधारा (1) मे अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि-

(क) मुतवल्ली इस अधिनियम के अन्तर्गत वक्फ़ के अस्तित्व को छिपाने के लिए इसके पंचीकरण का आवेदन देने में लोपता अथवा विफलता करता है-

(i) इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व सृजित वक्फ़ के मामले में धारा 36 की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर;

(ii) ऐसे आरम्भ के पश्चात् सृजित वक्फ़ के मामले में वक्फ़ सृजन की दिनांक से 3 माह के भीतर अथवा;

(ख) मुतवल्ली बोर्ड को कोई कथन रिटर्न अथवा जानकारी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह

जानता है अथवा यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि यह मिथ्या, असत्य अथवा अशुद्ध किसी सारवान् विवरण में है । वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक विस्तारित हो सकती है एवं जुर्माने से भी जो 15,000/ रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जावेगा ।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा इस बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकृत रूप से प्राधिकृत अधिकारी की परिवाद के सिवाय नहीं लेगा ।

(4) मेट्रोपोलीटिन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अनतिर्निहित किसी बात के होते हुए उपधारा (1) के अन्तर्गत आरोपित जुर्माना जब वसूल होगा, वक्फ़ कोष में जमा किया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ अपराधी उप-धारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् दोषसिद्ध किया जाता है एवं जुर्माने का दण्डादेश दिया जाता है, न्यायालय जुर्माना भुगतान करने में चूक करने पर ऐसी चूक पर विधि द्वारा प्राधिकृत ऐसी कारावास की अवधि भी आरोपित करेगा ।

धारा 62. मुतवल्ली द्वारा उसकी स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए वक्फ़ से संबंधित किसी राशि को व्यय न किया जाना. - कोई मुतवल्ली वक्फ़ कोष से जिसका वह मुतवल्ली है, कोई राशि उसको पद से हटाये जाने अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में किसी वाद, अपील अथवा अन्य कार्यवाही अथवा आनुषंगिक में के किसी लागत, प्रभारों, व्ययों, जो उसके द्वारा उपगत हो सकते हैं अथवा किये गये हैं, के लिए किसी राशि को व्यय नहीं करेगा ।

धारा 63. कुछ मामलों में मुतवल्ली नियुक्त करने की शक्ति. - जब वक्फ़ के मुतवल्ली पद में रिक्तता है एवं वक्फ़ विलेख की शर्तो के अन्तर्गत किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता अथवा जहाँ किसी व्यक्ति का मुतवल्ली के रूप में कार्य करने का अधिकार विवादित होता है, बोर्ड किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए एवं ऐसी शर्तो पर जो वह उचित समझता है मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

धारा 64. मुतवल्ली का हटाया जाना. - (1) अन्य किसी विधि अथवा वक्फ़ विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी बोर्ड मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकता है यदि ऐसा मुतवल्ली-

(क) धारा 61 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में एक से अधिक बार दोषसिद्ध किया गया है; अथवा

(ख) आपराधिक न्यास भंग अथवा अन्य किसी अपराध, नैतिक दुराचरण को सम्मिलित करते हुए, के लिए दोषसिद्ध किया गया है एवं ऐसी दोषसिद्धि परिवर्तित नहीं की गयी है एवं ऐसे अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा उसे नहीं दी गई है; अथवा

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का है अथवा अन्य मानसिक अथवा शारीरिक दोषों से पीड़ित रहा है, जो उसे मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने एवं कृत्यों को पूरा करने के अयोग्य करते हैं; अथवा

(घ) अनउन्मोचित दिवालिया है; अथवा

(ङ) शराब पीने का अथवा अन्य स्प्रिट युक्त निर्मित पीने का आदि होना अथवा अन्य स्वापक औषधि लेने का आदी होना सिद्ध हो गया है; अथवा

(च) वक्फ़ की ओर से अथवा उसके विरुद्ध विधिक भुगतान योग्य विधिक सलाहकार के रूप में नियोजित किया गया है; अथवा

(छ) बिना युक्तियुक्त कारण के दो लगातार वर्षों के लिए नियमित खाते रखने में विफल रहा है अथवा धारा 48 की उपधारा (2) द्वारा यथा उपेक्षित खातों के वार्षिक विवरण दो लगातार वर्षो मे प्रस्तुत करने में विफल रहा है; अथवा

(ज) किसी वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में अस्तित्वयुक्त पट्टे में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: हितबद्ध है अथवा उसके साथ की गई संविदा में अथवा वक्फ़ के लिए किये गये किसी कार्य अथवा ऐसे वक्फ़ को उसके द्वारा देय किसी बकाया राशि के सम्बन्ध में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: हितबद्ध है; अथवा

(झ) लगातार उसके कर्त्तव्य की उपेक्षा करता है अथवा को, का गैर कानूनी, अपकरण दुरुपयोग करता है अथवा वक्क के सम्बन्ध में अथवा किसी राशि के सम्बन्ध में अथवा अन्य वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यास भंग करता है; अथवा

(ञ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड के विधि पूर्ण आदेशों जो इस अधिनियम के किसी प्रावदान अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम अथवा आदेश के अन्तर्गत हो जानबूझकर एवं बार- बार अवज्ञा करता है; अथवा

(ट) वक्फ़ सम्पत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसके साथ कपटपूर्ण संव्यवहार करता है ।

(2) किसी व्यक्ति को मुतवल्ली के पद से हटाया जाना उसके निजी अधिकारों को, वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई हो, चाहे हिताधिकारी के रूप में अथवा अन्य किसी क्षमता में, अथवा उसके अधिकार सज्जदानशीन के रूप में यदि कोई हों, प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) बोर्ड के द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक यह मामले में निर्धारित रीति से जाँच नहीं कर लेता है एवं बोर्ड के सदस्यों के दो-तिहाई से कम न होने वाले बहुमत द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता ।

(4) मुतवल्ली जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) लगायत (झ) के किसी खण्डों के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित है उसके द्वारा ऐसे आदेश प्राप्ति के दिनांक से आदेश के विरुद्ध एक माह के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा एवं इस अपील में अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) जहाँ उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई जाँच मुतवल्ली के विरुद्ध प्रस्तावित की जाती है अथवा आरम्भ की जाती है तो बोर्ड, यदि इसकी राय है कि ऐसा किया जाना वक्फ़ के हितों में आवश्यक है, आदेश के द्वारा उस समय तक जब तक कि जाँच पूरी नहीं हो जाती, ऐसे मुतवल्ली को निलम्बित कर सकता है:

परन्तु मुतवल्ली को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध युक्तियुक्त सुने जाने का अवसर दिये जाने के पश्चात् के सिवाय 10 दिन से अधिक का निलम्बन नहीं किया जावेगा ।

(6) जहाँ उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिकरण को मुतवल्ली द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है, बोर्ड अधिकरण को अपील निर्णय के लंबन के दौरान वक्फ़ के प्रबन्ध हेतु रिसीवर की नियुक्ति करने का आवेदन दे सकता है एवं जहाँ ऐसा आवेदन दिया जाता है अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अन्तर्निहित सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, उपयुक्त व्यक्ति को वक्फ़ का प्रबन्ध करने के लिए रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकता है एवं ऐसे नियुक्त किये गये रिसीवर को मुतवल्ली एवं वक्फ़ के रूढ़िगत अथवा धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आश्वस्त हो के लिए निर्देशित कर सकता है ।

(7) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत मुतवल्ली को उसके पद से हटाया जाता है बोर्ड मुतवल्ली

को आदेश द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य बोर्ड अथवा इस बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य अधिकारी अथवा वक्फ़ सम्पत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा कमेटी को वक्फ़ सम्पत्ति का आधिपत्य परिदान करने का निर्देश दे सकता है|

(8) उसके पद से हटाये जाने बाला मुतवल्ली वक्फ़ के मुतवल्ली के रूप में पुन: नियुक्त किये जाने के लिए हटाये जाने की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए योग्य नहीं रहेगा ।

65. बोर्ड द्वारा कुछ वक्फ़ों का प्रत्यक्ष प्रबन्ध ग्रहण करना- (1) जहाँ कोई उपर्युक्त व्यक्ति वक्फ़ के मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं अथवा जहाँ बोर्ड लिखित में लेखबद्ध किये गये कारणों के बाद सन्तुष्ट हो जाता है कि मुतवल्ली पद की रिक्तता को भरा जाना वक्फ़ के हितों पर प्रतिकूलता पारित करने वाला है बोर्ड शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि अथवा अवधियों को संकलित तौर पर 5 वर्ष से अधिक न हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, वक्फ़ का प्रत्यक्ष ग्रहण कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार अपनी स्वप्रेरणा से अथवा वक्फ़ में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी मामले का अभिलेख उप-धारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की शुद्धता, विधिक्ता अथवा औचित्य संतुष्टि करने के लिए मंगा करेगा एवं ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो यह उचित समझती है एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया आदेश अन्तिम होगा एवं उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जावेगा ।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासम्भव बोर्ड इसके प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत के प्रत्येक वक्क के सम्बन्ध में निम्नलिखित देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा-

(क) रिपोर्ट के अन्तर्गत ठीक पूर्व के वर्ष की वक्फ़ की आय का विवरण;

(ख) वक्फ़ की आय एवं प्रबन्ध सुधार हेतु उठाये गये कदम;

(ग) अवधि जिसके दौरान वक्फ़ बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अन्तर्गत रहा है एवं कारणों को स्पष्ट किया जाना कि वक्फ़ का प्रबन्ध मुतवल्ली अथवा अन्य प्रबन्ध कमेटी को वर्ष के दौरान न्यस्त किया जाना क्यों सम्भव नहीं रहा है; एवं

(घ) अन्य ऐसे विषय जो निर्धारित किये जावे ।

(4) राज्य सरकार इसे उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करेगी एवं परीक्षण उपरान्त ऐसे निर्देश अथवा अनुदेश बोर्ड को जारी करेगी जो वह उचित समझती है एवं बोर्ड ऐसे निर्देशों अथवा अनुदेशों के प्राप्त होने पर पालन करेगा ।

[1](5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी; मंडल द्वारा वक्फ़ का प्रशासन ग्रहण किया जाएगा, यदि वक्फ़-मंडल के समक्ष यह प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य हो कि वक्फ़ के प्रबन्धन द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।"

धारा 66. मुतवल्ली को नियुक्त करने एवं हटाने की शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा कब प्रयोग किया जाए- जहाँ वक्फ़ विलेख अथवा न्यायालय की कोई डिक्री अथवा कोई आदेश अथवा वक्फ़ के प्रबन्ध की कोई स्कीम यह प्रावधानित करती है कि न्यायालय अथवा बोर्ड के अलावा अन्य कोई प्राधिकारी मुतवल्ली को नियुक्त कर सकता है अथबा हटा सकता है अथवा प्रबन्ध की ऐसी स्कीम को तय अथवा संशोधित कर सकता है अथवा अन्यथा वक्फ़ के ऊपर अधीक्षण उपयोग करता है तो ऐसे वक्फ़ विलेख डिक्री आदेश अथवा स्कीम मे अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए ऐसी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा उपयोगित की जावेगी ।

परन्तु यह कि जहाँ पर एक बोर्ड गठित किया गया है तब राज्य सरकार ऐसी शक्तियाँ

उपयोग में लाने से पहले बोर्ड से सलाह करेगी ।

धारा 67. प्रबन्ध कमेटी दमा अधीक्षण एवं अधिक्रमण- (1) जब कभी वक्फ़ का अधिक्षण अथवा प्रबन्ध वक्फ़ द्वारा नियुक्त किसी कमेटी मे निहित किया जाता है तो इस अधिनियम के अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए ऐसी कमेटी कार्य रखना जारी रखेगी जब कि इसे बोर्ड द्वारा अधिक्रान्त नहीं किया जाता अथवा जब तक कि वक्फ़ द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं होती, जो भी पहले हो:

परन्तु ऐसी कमेटी बोर्ड के निर्देश, नियन्त्रण एवं अधीक्षण के अन्तर्गत कार्य करेगी एवं ऐसे निर्देशों से बाधित होगी जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किया जावेगा :

परन्तु आगे यह भी कि यदि बोर्ड की यह संतुष्टि हो जाती है कि कमेटी द्वारा वक्फ़ प्रबन्ध की कोई स्कीम अधिनियम के प्रावधान अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम अथवा वक्फ़ के निर्देशों से असंगत है वह किसी समय स्कीम को ऐसी रीति में जो वक्फ़ के निर्देशों अथवा अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों की पुष्टि के लिये आवश्यक हो संशोधन कर सकता है|

(2) इस अधिनियम एवं विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए बोर्ड की यदि लिखित लेखबद्ध कारणों से यह संतुष्टि हो जाती है कि उप-धारा (1) में संदर्भित कमेटी उचित एवं संतोषप्रद तरीके से कार्य नहीं कर रही है अथवा वक्फ़ का गलत प्रबन्ध किया जा रहा है एवं उचित प्रबन्ध के हित में ऐसा करना आवश्यक है आदेश द्वारा ऐसी कमेटी को अतिष्ठित कर सकेगी एवं ऐसे अधिक्रान्त पर वक्फ़ के ऐसे निर्देश जहाँ तक वे कमेटी के संविधान से संबंधित है प्रभाव रखना रामाप्त हो जावेंगे :

परन्तु बोर्ड किसी कमेटी का अतिष्ठित आदेश करने के पूर्व प्रस्तावित कार्यवाही के कारणों को बताते हुए सूचना-पत्र जारी करेगा एवं कमेटी को ऐसे समय के भीतर जो सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जावे, जो एक माह से कम न हो, कारण दर्शित करने के लिए कि क्यों न ऐसी कार्यवाही की जावे, कहेगा ।

(3) उप-धारा (2) के अन्तर्गत बोर्ड का प्रत्येक आदेश निर्धारित रीति में प्रकाशित किया जावेगा, ऐसे प्रकाशन पर मुतवल्ली एवं वक्फ़ों मे कोई हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर बन्धनकारी होगा ।

(4) उप-धारा (2) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा :

परन्तु उप-धारा (2) के अन्तर्गत किये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश दिनांक से 60 दिवस के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु आगे यह भी कि अधिकरण को ऐसे अपील लम्बन के दौरान बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश के क्रियान्वयन को निलम्बित करने की शक्ति नहीं होगी ।

(5) बोर्ड जब उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी कमेटी को अतिष्ठित करता है तो उप-धारा (2) के अन्तर्गत के आदेश देने के साथ-साथ प्रबन्ध की नई कमेटी का गठन करेगा ।

(6) पूर्वोक्त उप-धाराओं में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी बोर्ड उप- धारा (2) के अन्तर्निहित किसी कमेटी को अतिष्ठित करने के बजाय इसमें से किसी सदस्य को हटा सकता है यदि उसकी यह सन्तुष्टि हो जाती है ऐसे सदस्य ने ऐसे सदस्य होने के नाते उसकी स्थिति का दुरुपयोग किया है अथवा जानबूझकर वक्फ़ के हितों को प्रतिकूलत: कारित करने की रीति में कार्य किया है एवं किसी सदस्य को हटाये जाने वाला प्रत्येक आदेश उस पर पंजीकृत डाक से निर्वहित करायेगा :

परन्तु सदस्य को हटाये जाने का कोई आदेश नहीं दिया जावेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित

कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो|

परन्तु आगे यह भी कि कमेटी की सदस्यता से हटाये जाने के किसी आदेश से व्यथित कोई सदस्य उस पर आदेश निर्वहन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा एवं अधिकरण अपीलांट एवं बोर्ड को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् बोर्ड द्वारा पारित आदेश को पुष्ट संशोधित अथवा पलट सकेगा एवं ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

धारा 68. मुतवल्ली अथवा कमेटी का अभिलेख आदि का आधिपत्य परिदान करने का कर्त्तव्य- (1) जब बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार अथवा बोर्ड द्वारा निर्देश किसी स्कीम के द्वारा किसी मुतवल्ली अथवा प्रबन्ध कमेटी को हटाया जाता है, तो मुतवल्ली अथवा कमेटी, जैसा भी मामला हो, जो अथवा जिसे पद से हटाया गया है (इसके पश्चात् इस धारा में हटाये गये मुतवल्ली अथवा हटाई गई कमेटी) उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उतराधिकारी कमेटी को प्रभार एवं अभिलेख, खातों एवं सभी वक्फ़ सम्पत्तियों (नकद सम्मिलित करते हुए) का आदेश के विनिर्दिष्ट दिनांक से एक माह के अन्दर आधिपत्य सौंपेगा ।

(2) जहाँ कोई हटाया गया मुतवल्ली अथवा हटाई गई कमेटी उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उतराधिक परी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी को प्रभार साँपने एवं अभिलेख खाते एवं सम्पत्तियों (नकद सम्मिलित करते हुए) का आधिपत्य परिदान करने में विफल रहता है अथवा ऐसे मुतवल्ली अथवा कमेटी को कथित अवधि समाप्ति के उपरान्त आधिपत्य प्राप्त करने से रोकता है अथवा बाधा पहुँचाता है, उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी का कोई सदस्य यह संलग्र करते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसे उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी को नियुक्त करने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि किसी ऐसे [2][जिला-मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला-मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उनके बराबर अधिकारी] को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वक्फ़ संपत्ति का भाग स्थित है, कर सकेगा एब जिस पर मजिस्ट्रेट हटाये गये मुतवल्ली अथवा हटाई गई कमेटी के सदस्यों को सूचना-पत्र देने के पश्चात् प्रभार देने एवं ऐसे अभिलेख खाते एवं वक्फ़ सम्पत्ति (नगद सम्मिलित करते हुए) की उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी, जैसा भी मामला हो, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, आधिपत्य परिदान का निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(3) जहाँ हटाये गये मुतवल्ली अथवा हटायी गई कमेटी का कोई सदस्य प्रभार देने में अथवा भिलेख खाते एवं सम्पत्तियों (नकद सम्मिलित करते हुए) का आधिपत्य देने में उप-धारा (2) के अन्तर्गत [2]कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर लोपता करता है अथवा विफल रहता है तो हटाया गया मुतवल्ली अथवा हटाई गई कमेटी का प्रत्येक सदस्य जैसा भी मामला हो, कारावास की अवधि, जो 6 माह तक हो सकती है अथवा जुर्माने से 8,000/- रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा ।

(4) जब हटाया गया मुतवल्ली अथवा हटाई गई कमेटी का कोई सदस्य उप-धारा (2) के अन्तर्गत [2]कोई मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश का पालन करने में लोपता करता है अथवा विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी, जैसा भी मामला हो, को प्रभार लेने एवं ऐसे अभिलेख खाते एवं सम्पत्तियों (नकद सम्मिलित करते हुए) का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है एवं ऐसे व्यक्ति को ऐसे पुलिस सहायता का जो प्रयोजन के लिए आवश्यक हो प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है ।

(5) उत्तराधिकारी मुतवल्ली अथवा उत्तराधिकारी कमेटी की नियुक्ति का कोई आदेश इस धारा

के अन्तर्गत [2]कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जावेगा ।

(6) इस धारा में अन्तर्निहित कोई बात, इस धारा के अन्तर्गत दिये गये आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को सक्षम सिविल न्यायालय में उप-धारा (2) के अन्तर्गत [2]कोई मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों में उसे अधिकारी स्वत्व एवं हित स्थापित करने के बाद संस्थित करने को वर्जित नहीं करेगी ।

69. वक्फ़ के प्रशासन के लिए स्कीम बनाने में बोर्ड की शक्ति- [3](1) जहाँ जाँच पश्चात् मंडल की सन्तुष्टि हो जाती है, चाहे उसको स्वयं के स्रोत से या किसी वक्फ़ में हित रखने वाले कम से कम पाँच व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से, कि वक्फ़ के उचित प्रशासन हेतु योजना विरचित की जाना चाहिए, वह एक आदेश द्वारा उस वक्फ़ के मुतवल्ली या, अन्य व्यक्तियों से विनिर्धारित प्रक्रिया अनुसार सलाह लेने के उपरान्त उस वक्फ़ के उचित प्रशासन हेतु उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देते हुए; उस वक्फ़ के उचित प्रशासन हेतु ऐसी योजना विरचित कर सकता है ।"

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत रचित स्कीम प्रवृत्त होने की दिनांक के ठीक पूर्व वक्क के मुतवल्ली के पद को धारित करने वाले को हटाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया जा सकता है :

परन्तु जहाँ ऐसी स्कीम किसी पैतृक मुतवल्ली को हटाने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, तो ऐसे हटाये गये मुतवल्ली के पैतृक उत्तराधिकारी के अगले व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रावधान भी करेगी । यह वक्फ़ के उचित प्रशासन के लिये नियुक्त कमेटी के सदस्यों में से एक के रूप में होगा ।

(3) उप-धारा (2) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश निर्धारित विधि में प्रकाशित किया जावेगा एवं ऐसे प्रकाशन पर वक्फ़ के सभी हितबद्ध व्यक्तियों एवं मुतवल्ली पर बंधनकारी एवं अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत दिये गये आदश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश दिनांक से 60 दिवस के भीतर अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी अपील सुनने के पश्चात् अधिकरण आदेश को पुष्ट, परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकेगा :

परन्तु आगे यह भी कि इस धारा के अन्तर्गत दिये गये आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित करने का आदेश देने की शक्ति अधिकरण को प्राप्त नहीं होगी ।

(4) बोर्ड किसी भी समय आदेश द्वारा चाहे स्कीम प्रभावी होने के पूर्व दिया गया हो अथवा पश्चात् में दिया गया हो, के द्वारा स्कीम को निरस्त अथवा संशोधित कर सकता है ।

(5) वक्फ़ के बेहतर प्रशासन के लिए स्कीम विरचना के लंबित रहते बोर्ड मुतवल्ली के सभी अथवा किसी कार्य को पूरा करने के लिए, एवं ऐसे मुतवल्ली के कर्त्तव्यों को पूरा करने एव शक्तियों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है ।

धारा 70. वक्फ़ के प्रशासन से संबंधित जाँच- वक्क में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति वक्फ़ के प्रशासन से संबंधित एक जांच संस्थित करने के लिए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित, बोर्ड के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और यदि बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वक्फ़ के कार्यो का कुप्रबन्ध किया जा रहा है तो यह उस पर ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि वह उचित समझेगा ।

धारा 71. जाँच करने के ढंग- (1) बोर्ड या तो [2]धारा 70 के अधीन प्राप्त किये गये एक आवेदन-पत्र के आधार पर या स्वयंमेव के विवेक पर-

(क) इस प्रकार के तरीके से जाँच कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) वक्फ़ से संबंधित किसी भी मामले की एक जाँच करने के लिए इसकी ओर से किसी भी

व्यक्ति को अधिकृत कर सकेगा और वैसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि यह उचित समझता है|

(2) इस धारा के अधीन एक जाँच के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड या इसकी ओर से अधिकृत किया गया कोई भी व्यक्ति ठीक वैसी ही शक्तियाँ रखेगा जैसे कि साक्षियों की हाजिरी के लिए और दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित की गयी है ।

अध्याय-VII
बोर्ड का वित्त

धारा 72. बोर्ड को भुगतान योग्य वार्षिक अंशदान- (1) प्रत्येक वक्फ़ जिसकी वार्षिक आय 5,000/- रूपये से कम नहीं है, का मुतवल्ली वक्फ़ की प्राप्त वार्षिक आय में से प्रतिवर्ष ऐसा अंशदान जो ऐसी वार्षिक आय के 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जो निर्धारित किया जावे, बोर्ड की वक्फ़ को ऐसे बोर्ड द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण I. - इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "शुद्ध वार्षिक आय" से अभिप्राय वक्फ़ की एक वर्ष में सभी स्त्रोतों, नजर और भेजों से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् सकल आय जिन्हें वक्फ़ के ढाँचे में अंशदान नहीं माना जाता है, को सम्मिलित करते हुए, नामत: -

(i) इसके द्वारा सरकार को भुगतान किया गया भू-राजस्व|

(ii) इसके द्वारा सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी को भुगतान की गई दरें, कर एवं अनुज्ञप्ति शुल्क।

(iii) निम्नलिखित सभी अथवा [2]वक्फ़ के लाभार्थ मुतवल्ली द्वारा सीधे खेती की जाने वाली भूमियों के संबंध में किसी प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, नामत:-

(क) सिंचाई कार्य की देख-रेख अथवा मरम्मत जिसमें सिंचाई की पूँजी लागत सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) बीज अथवा बीज बोने का कार्य;

(ग) खाद डालना;

(घ) कृषि संयत्रों का क्रय एवं देख- रेख;

(ङ) सिंचाई कार्य हेतु पशुओं का क्रय एवं देख-रेख;

(च) जुताई, सिंचाई, बुवाई, पौधे को उखाड़ना लगाना सम्बन्धी कार्य, फसल काटना, अनाज साफ करना, एवं अन्य कृषि कार्य हेतु मजदूरी;

परन्तु इस खण्ड के अन्तर्गत व्यय के सम्बन्ध में कुल कटौती वक्फ़ से सम्बन्धित भूमि से प्राप्त आय के [2]20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(iv) किराये के भवन पर विभिन्न मरम्मत पेटे व्यय इससे प्राप्त वार्षिक किराये के 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(v) उचल सम्पत्ति के विक्रय के आगम अथवा इससे संबंधित अधिकार; अथवा उससे उत्पन्न होने वाले अधिकार, यदि आगम को वक्फ़ के लिये आय अर्जित करने हेतु पुनर्निवेश कर दिया है :

परन्तु प्राप्ति की निम्नलिखित मदें इस धारा के प्रयोजन के लिए आय होना नहीं समझी जावेगी, नामत:-

(क) अग्रिम एव वसूल की गई जमा एवं लिया गया अथवा वसूला गया ऋण:

(ख) कर्मचारी, पट्टाकर्ता अथवा ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा अथवा अन्य जमा यदि कोई हो;

(ग) विनियोग या बैंक से आहरण;

(घ) न्यायालय द्वारा प्रदत्त लागत पेटे वसूल राशि;

(ङ) धार्मिक पुस्तकों का विक्रय, आगम व प्रकाशन जहाँ विक्रय का परिवचन गैर पारिश्रमिक उद्यम के रूप में धर्म प्रचार के विचार से किया गया हो;

(च) नकद अथवा वस्तु अथवा भेटों के रूप में दान दाताओं द्वारा वक्फ़ के ढांचे में अंशदान के रूप में दान:

परन्तु ऐसे दान अथवा भेटों से आय पर यदि कोई ब्याज अर्जित होता है तो इसे सकल वार्षिक आय की गणना करने में ध्यान में रखा जावेगा ।

[2]"परन्तु आगे यह कि पट्टे पर प्रदत्त वक्फ़- भूमि के संबंध में किसी भी मद में, उसे चाहे जिस नाम से कहा जाता हो, चाहे बटाई या भागीदारी खेती या अन्य किसी नाम से ऐसा कोई कटोत्रा अनुमतेय नहीं होगा।"

(छ) वक्फ़ द्वारा सम्पादित की जाने वाली किसी विशिष्ट सेवा के लिए नकद या वस्तु के रूप में स्वेच्छिक प्राप्त अंशदान।

(ज) अंकेक्षण वसूली ।

स्पष्टीकरण II- इस धारा के प्रयोजन के लिए शुद्ध वार्षिक आय का विनिश्चय करने के लिए मात्र किसी वक्फ़ द्वारा मात्र इसके पारिश्रमिकयुक्त उपक्रमों से हासिल शुद्ध आय, यदि कोई हो, आय के रूप में ली जावेगी एवं गैर पारिश्रमिकयुक्त उपक्रमों जैसे- स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निर्धन गृह, अनाथालय अथवा ऐसी अन्य समान संस्थान, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुदान अथवा लोकदान अथवा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों से संग्रहीत शुल्क आय के रूप में नहीं ली जावेगी ।

(2) बोर्ड किसी मास्जिद अथवा अनाथालय अथवा किसी विशिष्ट वक्क के मामले में ऐसे अंशदान को ऐसे समय के लिए जो कि यह उचित समझता है घटा सकता है अथवा परिहार कर सकता है ।

(3) वक्क का मुतवल्ली उप-धारा (1) के अन्तर्गत उसके द्वारा भुगतान योग्य अंशदान को विभिन्न व्यक्तियों से जो वक्फ़ से धनी अथवा अन्य सानवान् लाभ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का अधिकारी होगा परन्तु ऐसे व्यक्तियों में से किसी से वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं होगी जो वक्फ़ की शुद्ध वार्षिक आय से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभों के अनुपात में कुल भुगतान योग्य अंशदान में होती है :

परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत देयकों के रूप में भुगतान योग्य राशि से अधिक वक्फ़ की आय उप-धारा (1) के अन्तर्गत अंशदान के अथवा एव वक्फ़ विलेख के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि के आधिक्य में उपलब्ध है अंशदान ऐसी आय से भुगतान किया जावेगा ।

(4) उप-धारा (1) अधीन किसी वक्फ़ के सम्बन्ध में भुगतान योग्य अंशदान सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य कोई कानून में, के वक्क सम्पत्ति अथवा इसकी आय पर प्रथम प्रभार के विषयाधीन रहते हुए वक्फ़ की आय पर प्रथम प्रभार होगा एवं बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर संबंधित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल योग्य होगा ।

(5) यदि वक्फ़ की आय को मुतवल्ली वसूल करता है एवं ऐसे अंशदान को भुगतान नहीं करता अथवा इन्कार करता है तो वह ऐसे अंशदान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जो उसके स्वयं से अथवा सम्पत्ति के उपरोक्त तरीके से वसूल किया जा सकता है ।

(6) जहाँ इसके आरम्भ होने के पश्चात् वक्फ़ का मुतवल्ली विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर वक्फ़ की शुद्ध वार्षिक आय का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है अथवा रिटर्न प्रस्तुत करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में किसी सारवान् विवरण पर अशुद्ध अथवा मिथ्या है अथवा जो इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा आदेश पालन नहीं करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसके सर्वश्रेठ निर्णय से वक्क की वार्षिक आय निर्धारित कर सकता है अथवा मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में दर्शित शुद्ध वार्षिक आय को पुनरीक्षित कर सकता है एवं ऐसी निर्धारित अथवा पुनरीक्षित वार्षिक आय इस धारा के प्रयोजनों के लिए वक्फ़ की शुद्ध वार्षिक आय समझी जावेगी :

परन्तु शुद्ध वार्षिक आय अथवा मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत रिटर्न का पुनरीक्षण मुतवल्ली को कारण दर्शित सूचना-पत्र दिये बिना, जिसमें सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि में उससे कारण दर्शित करने के लिए कहा गया हो क्यों न ऐसा निर्धारण अथवा रिटर्न का पुनरीक्षण का पुनरिक्षण मुतवल्ली द्वारा दिये गये उत्तर यदि कोई हो, को विचारित करने के पश्चात् किया जावेगा ।

(7) उप-धारा (6) के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा किये गये निर्धारण अथवा पुनरीक्षण से व्यथित कोई मुतवल्ली बोर्ड को ऐसे निर्धारण अथवा रिटर्न पुनरीक्षण की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा एवं बोर्ड अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त निर्धारण अथवा रिटर्न के पुनरीक्षण को पुष्ट परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकेगा एवं बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

(8) यदि किसी कारण से अंशदान अथवा इसका कोई भाग जो इस धारा के अन्तर्गत वसूल योग्य है किसी वर्ष में निर्धारण से बच गया है चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी उस वर्ष की अन्तिम दिनांक जिसको ऐसा बच गया निर्धारण संबंधित है वे पाँच वर्ष के भीतर मुतवल्ली पर सूचना ऐसे अंशदान अथवा उसके भाग जो निर्धारण से बच गया है निर्धारण करते हुए उस पर करेगा एवं इसके भुगतान की मांग ऐसे सूचना-पत्र के निर्वहन से 30 दिवस के भीतर करेगा एवं इस अधिनियम के प्रावधान एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियम इस तरह प्रयोज्य होंगे मानों इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार निर्धारण किया गया हो ।

धारा 73. संदाय करने के लिए बैंक या दूसरे व्यक्ति को निर्देश देने की मुछय कार्यपालक अधिकारी की शक्ति- (1) तत्समय प्रवृत्त होने वाली किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट किय गये होने पर भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि वैसा करना आवश्यक एव अनिवार्य है, तो किसी भी बैंक को निर्देश देते हुए जिसमें या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ वक्फ़ से संबंधित किसी भी धन को जमा किया जाता है, धारा 72 के अधीन उद्ग्रहणीय का, अंशदान करने के लिए एक आदेश पारित करता है, ऐसी सम्पत्ति में जो इस प्रकार के बैंक में वक्फ़ के विश्वास पर अवस्थित हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ जमा कर दी गयी हो, या ऐसे धन में से जो समय-समय पर, बैंक द्वारा या दूसरे व्यक्ति के लिए या निक्षेप के माध्यम से वक्फ़ की ओर से प्राप्त की जाए, और ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर, बैंक या अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, उस समय ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा, जब कोई भी अपील. उप-धारा (3) के अधीन दायर न की गयी हो, या जहाँ एक अपील उप-धारा (3) के अधीन दायर नहीं की गयी है, वहाँ वह ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेश का अनुपालन करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी भी आदेश के अनुसरण में बैंक द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हर एक सदाय, इस प्रकार से संदाय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में ऐसे बैंक या दूसरे व्यक्ति के दायित्व के सम्पूर्ण निर्वहन के रूप में प्रवर्तनीय होगा ।

(3) कोई भी बैंक या अन्य व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के अधीन, कोई भी संदाय करने का आदेश दिया जाता है, तो वह आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर, अधिकरण के समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर कर सकेगा और अधिकरण का निर्णय ऐसी अपील पर अंतिम होगा ।

(4) बैंक का हर एक अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो युक्तियुक्त कारण के बिना ही, उप-धारा (1) उप-धारा (3) जैसा भी मामला हो, के अधीन पारित किये गये आदेश का अनुपालन करने में असफल हो जाता है, तो वह एक ऐसी कालावधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो छः महीने तक विस्तारित हो सकेगा या उस जुर्माने से दण्डनीय होगा जो आठ हजार रुपये तक विस्तारित हो सकेगा या दोनों से ।

धारा 74. वक्फ़ को भुगतान योग्य स्थाई वार्षिकी से भुगतान योग्य अंशदान में कटौती- (1) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, या जमींदारी अथवा जागीर उन्मूलन से संबंधित किसी विधि के अन्तर्गत वक्फ़ को भुगतान योग्य किसी स्थाई वार्षिकी संवितरित करने के लिए सशक्त प्रत्येक प्राधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर धारा 72 के अन्तर्गत योग्य अंशदान की राशि जो बिना भुगतान के रहती है, विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट राशि को वक्फ़ को स्थाई वार्षिकी का भुगतान करने के पूर्व कटौती पर सकेगा एवं ऐसी कटौती का गई राशि को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेज सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी गई प्रत्येक राशि वक्फ़ द्वारा भुगतान करना समझी जावेगी एव ऐसी भेजी गई राशि की सीमा तक स्थाई वार्षिकी को भुगतान के सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी के दायित्व को पूर्ण उन्मोचित करेगी ।

धारा 75. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने के प्रयोजन से बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसी राशि एवं ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर जो राज्य सरकार विनिश्चित करे उधार ले सकेगी ।

(2) बोर्ड उधार ली गई राशि को ब्याज अथवा लागत जो इस बाबत देय हो समेत ऋण की शर्तो व निर्बन्धनों के साथ भुगतान करेगा ।

धारा 76. मुतवल्ली द्वारा बिना अनुज्ञा के उधार न दिया जाना या उधार न लिया जाना- (1) मुतवल्ली, कार्यकारी अधिकारी अथवा वक्फ़ प्रशासन के प्रभार में होने वाला अन्य अधिकारी वक्फ़ अथवा वक्फ़ सम्पत्ति से संबंधित राशि को उधार नहीं देगा अथवा वक्फ़ के प्रयोजन के लिए सिवाय बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के, किसी राशि को उधार नहीं लेगा :

परन्तु यह कि वक्फ़ विलेख में यदि उधार लेने या देने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान हो तो ऐसी अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) बोर्ड अनुज्ञा प्रदान करते समय ऐसी शर्तो व निर्बंधनो को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके विषयाधीन उप-धारा (1) में सन्दर्भित व्यक्ति उसके द्वारा किसी राशि को उधार देने अथवा लेने के लिए अथवा अन्य वक्फ़ सम्पत्ति को उधार देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

(3) यदि इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में जहाँ कोई राशि उधार दी जाती है अथवा उधार ली जाती है अथवा अन्य वक्फ़ सम्पत्ति उधार दी जाती है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि-

(क) ऐसी राशि के बराबर जो ऐसी उधार दी गई अथवा उधार ली गई, ब्याज समेत जो इस पर देय हो के बराबर हो. ऐसे व्यक्ति के निजी कोष से जिसके द्वारा ऐसी राशि उधार दी गई थी अथवा उधार ली गई थी वसूल करना;

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दी गई सम्पत्ति के आधिपत्य को ऐसे व्यक्ति से जिसको यह दी गई है अथवा ऐसे व्यक्तियों से जो ऐसी सम्पत्ति में ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, जिसको ऐसी सम्पत्ति दी गई थी, हक का दावा करते है आधिपत्य वापिस प्राप्त करना ।

धारा 77. वक्फ़ कोष- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त अथवा वसूल की गई सभी राशि एवं दान, उपकृति अथवा अनुदान के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ वक्फ़ कोष कहे जाने वाले कोष का गठन करेंगी ।

(2) बोर्ड द्वारा दान, उपकृति एवं अनुदान के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ पृथक् उपशीर्ष के अन्तर्गत खाते में लिखी जायेगी एवं जमा की जावेंगी ।

(3) ऐसे किसी नियमों जो उस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हों विषयाधीन रहते हुए वक्फ़ कोष बोर्ड के नियन्त्रण में होगा, वक्फ़ कोष बोर्ड के नियन्त्रण में होते हुये भी ऐसे किसी नियमों, यदि कोई हो, जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बनाये हों, के विषयाधीन रहेंगे ।

(4) वक्फ़ कोष प्रयोज्य किया जा सकेगा-

(क) धारा 75 के अन्तर्गत किसी ऋण तथा इसके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए;

(ख) वक्फ़ कोष के अंकेक्षण एवं वक्फ़ के खातों की लागत भुगतान के लिए;

(ग) बोर्ड के अधिकारियों एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते के भुगतान के लिए;

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष, एवं सदस्यों, के यात्रा भत्तों के भुगतान के लिए;

(ङ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत आरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिये एवं प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा उपगत व्ययों के भुगतान के लिए;

(च) इस पर, या तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन अधिरोपित किये गये किसी आभार के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा उपगत किये गये, सभी खर्चो का संदाय ।

[2][(छ) मुस्लिम स्त्री (तलाक उपरांत अधिकारों का संरक्षण अधिनियम सन् 1986 (क्र. 25 सन् 1986) के प्रावधानों के अंतर्गत उस संक्षेप के सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित मुस्लिम महिला को परवरिश भत्ता का भुगतान ।

(5) यदि उप-धारा (4) में संदर्भित व्ययों के देने के उपरान्त कोई शेष रहता है तो बोर्ड ऐसे शेष के किसी भाग का उपयोग वक्फ़ सम्पत्ति के परीक्षण एवं सरक्षण अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जो समुचित हो कर सकेगा ।

धारा 78. बोर्ड का बजट- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति में एवं ऐसे समय पर जो निर्धारित की जावे आगामी वितीय वर्ष के लिए, वितीय वर्ष के' दौरान अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा एवं इसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा|

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत इसी अग्रेषित बजट की प्राप्ति पर राज्य सरकार इसका परीक्षण करेगी एवं ऐसे सुझावों, शुद्धियों अथवा संशोधनों को इसमें किये जाने हेतु जो यह उचित समझती है सुझाव देगी एवं ऐसे सुझावों को बोर्ड को इसके विचार के लिए अग्रेषित करेगी ।

(3) राज्य सरकार के सुझावों के प्राप्त होने पर बोर्ड ऐसे परिवर्तन, शुद्धियों अथवा संशोधनों जो शासन द्वारा सुझाए गए हों के बाबत लिखित अभ्यावेदन राज्य सरकार को कर सकेगी एव राज्य सरकार ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त इसकी प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर मामले

में बोर्ड को अन्तिम निर्णय से अवगत करायेगा एवं राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) उप-धारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार से निर्णय प्राप्त होने पर बोर्ड इसके बजट में राज्य सरकार द्वारा अंतिम तौर पर सुझावित सभी परिवर्तनों, शुद्धियों, संशोधनों को समाविष्ट करेगा एवं ऐसा परिवर्तित, शुद्ध अथवा संशोधित बजट होगा जिसे बोर्ड द्वारा पारित किया जावेगा ।

धारा 79. बोर्ड के खाते- बोर्ड निधारित रीति के अनुसार खाता पुस्तकों एवं इससे खातों के सम्बन्ध में अन्य पुस्तकों को रखेगा।

धारा 80. बोर्ड के खातों का अंकेक्षण- (1) बोर्ड के खातों का अंकेक्षण एवं परीक्षण वार्षिक तौर पर ऐसे अंकेक्षक द्वारा किया जावेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे ।

(2) अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों में विनिर्दिष्ट होगा कि क्या प्रत्येक वक्फ़ के खाते बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रथक रखे गये हैं । यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि क्या ऐसे खाते राज्य स्थानीय कोष परीक्षक द्वारा वार्षिक तौर पर अंकेक्षित किये गये हैं एवं अनियमित, अवैध अथवा अनुचित तौर पर किये गये व्यय अथवा उपेक्षा अथवा दुराचरण के कारण राशि अथवा अन्य सम्पत्ति वसूल करने में विफलता एवं ऐसे अन्य मामलेजो अंकेक्षक रिपोर्ट करना आवश्यक समझता है, होंगे एवं रिपोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी अन्तर्निहित होंगे जो अंकेक्षक की राय में ऐसे व्यय अथवा विफलता के लिए दायी है एवं अंकेक्षक प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति पर देय ऐसे व्यय अथवा हानि की राशि को प्रमाणित करेगा|

(3) अंकेक्षण लागत वक्फ़ कोष से भुगतान की जावेगी ।

धारा 81. अंकेक्षक की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना- राज्य सरकार अंकेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करेगी एवं इसमें वर्णित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण प्राप्त करेगी एवं रिपोर्ट पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो यह उचित समझती है ।

[2]"एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंकेक्षण- प्रतिवेदन सहित आदेशों की प्रतियाँ उसे राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन जहाँ दो सदन हैं, या जहाँ केवल एक सदन है, के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं उसकी प्रस्तुति दिनांक से तीस दिवस के भीतर परिषद को प्रेषित की जाएगी ।"

धारा 82. बोर्ड को देय राशि बकाया भू- राजस्व के रूप में वसूल योग्य- (1) धारा 80 के अन्तर्गत अंकेक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा, देय के रूप में प्रमाणित प्रत्येक राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा बोर्ड द्वारा इसके लिये जारी मांग के निर्वहन के 60 दिवस के भीतर भुगतान की जावेगी ।

(2) यदि उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है, भुगतान योग्य राशि, बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये जाने के उपरान्त बकाया भू-राजस्व के तरीके अनुसार वसूल योग्य होगी ।

अध्याय-VII
न्यायिक कार्यवाही

धारा 83. अधिकरणों आदि का गठन- [3](1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उतने अभिकरण गठित किए जाएंगे जितने कि वह उचित समझे, जो इस अधिनियम अंतर्गत वक्फ़ या वक्फ़ सम्पत्ति के किरायेदार के निष्कासन या पट्टादाता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विनिश्चयन एवं स्थानीय सीमाओं को परिभाषित एवं ऐसे अभिकरणों के

क्षेत्राधिकार विनिश्चित कर सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन पारित किये गये आदेश या उसके अधीन निर्मित किये गये नियमों से व्यथित कोई भी अन्य व्यक्ति या वक्फ़ में हितबद्ध व्यक्ति, कोई भी मुतवल्ली इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा या जहाँ, कोई भी समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहाँ ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, वक्क के किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मुद्दे के उपधारणा के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) जहाँ, उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आवेदन-पत्र ऐसी किसी वक्फ़ सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है जो दो या दो से अधिक अधिकरणों की अधिकारिता की क्षेत्रीय परिसीमाओं के भीतर आता है, वहाँ ऐसे आवेदन-पत्र को ऐसे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके गा जिसकी अधिकारिता के स्थानीय परिसीमाओं के अन्दर, मुतवल्ली या वक्फ़ के मुतवल्लियों में से कोई एक वास्तव में और स्वैच्छिक तौर पर रहता है, कारबार करता है या लाभ व्हे व्यक्तिगत, तौर पर कार्य करता है, और जहाँ ऐसा आवेदन-पत्र उपरोक्त अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दूसरा अधिकरण या अधिकारिता रखने वाली अधिकरणों के समक्ष ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मुद्दे के अवधारण के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को विचारणार्थ ग्रहण नहीं करेगा :

परन्तु, राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय है कि वह वक्फ़ या वक्फ़ सम्पति में सम्बन्धित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले किसी दूसरे अधिकरण के समक्ष ऐसे आवेदन-पत्र का अंतरण करना, वक्फ़ के हित में या वक्फ़ या वक्फ़ सम्पत्ति में हितबद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, तो वह ऐसे आवेदन-पत्र को अधिकारिता रखने वाले दूसरे अधिकरण को अंतरित कर सकेगा और, ऐसे अंतरण पर, वह अधिकरण जिसको आवेदन-पत्र इस प्रकार से अंतरित किया जाता है, तो उस चरण से आवेदन- पत्र का संव्यवहार करेगा जिस चरण पर उस अधिकरण से पहुँचा था सिवाय वहाँ जहाँ अधिकारण की यह राय है कि नये आवेदन-पत्र से संव्यवहार करना न्याय हित में आवश्यक है ।

[2](4) प्रत्येक अभिकरण में होंगे-

(क) एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला एवं सेशन न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश वर्ग एक से निम्न स्तर का नहीं होगा तथा जो अभिकरण का अध्यक्ष होगा;

(ख) एक व्यक्ति, जो राज्य सिविल सेवा का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी के बराबर स्तर का होगा, सदस्य;

(ग) एक व्यक्ति जिसे मुस्लिम विधि एवं मुस्लिम धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा, सदस्य ।

एवं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति या तो उसके नाम से होगी या पदनाम से ।

4-क. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों जो पदेन सदस्यों से अलग होंगे, की नियुक्ति की शर्ते एवं अवधि तथा उन्हें देय वेतन, भत्ते, उसी प्रकार के होंगे जैसे कि विनिर्धारित होंगे ।"

(5) अधिकरण को एक सिविल न्यायालय होने के रूप में समझा जायेगा और उन्हीं शक्तियों को रखेगा जो एक बाद का या एक डिक्री या आदेश का निष्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती है ।

(6) सिविल प्रकि या संहिता 1908 (1908 का 5) में अन्तर्विष्ट किये गये किसी भी बात के होते हुए भी अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए ।

(7) अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन-पत्र के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और उसके पास एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गयी डिक्री की शक्ति होगी ।

(8) अधिकरण के किसी निर्णय का निष्पादन उस सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया जायेगा जिसे ऐसा निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है ।

(9) कोई भी अपील किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने योग्य नहीं होगी चाहे वह अधिकरण द्वारा अंतरिम या अन्यथा पारित किया गया हो :

परन्तु, उच्च न्यायालय, बोर्ड या किसी भी व्यथित व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मुद्दे से सम्बन्धित दस्तावेजों को मंगा सकेगा और उसके परीक्षण कर सकेगा जिसका ऐसे अवधारण की शुद्धता, वैधानिकता या स्वामित्व के बारे में स्वमेव का समाधान करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण द्वारा अवधारण किया जा चुका है । और ऐसे अवधारण की पुष्टि कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरण कर सकेगा या कोई दूसरा आदेश पारित करक सकेगा जैसा कि वह उपयुक्त समझे ।

धारा 84. अधिकरण द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना एवं इसके निर्णय की प्रतिलिपियाँ पक्षकारों को प्रदान करना- जब अधिकरण को कोई आवेदन वक्क अथवा वक्फ़ सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी विवाद, प्रश्न अथवा अन्य मामले में विनिश्चय करने के लिए किया जाता है यह इसकी कार्यवाही यथासम्भव शीघ्रता से करेगा एवं यथासम्भव व्यवहारिक तौर पर ऐसे मामले की सुनवाई के निष्कर्ष पर इसके हस्ताक्षर के अधीन लिखित में इसका निर्णय देगा एवं ऐसे निर्णय की प्रति ऐसे प्रत्येक पक्षों को जो निर्णय के समय उसके समक्ष उपस्थित थे देगा एवं जहाँ कोई पक्ष उपरोक्त कथित समय पर उपस्थित नहीं था ऐसे निर्णय की प्रति ऐसे पक्षकार को भेजेगा|

धारा 85. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन- वक्फ़, वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी विवाद, प्रश्न अथवा अन्य मामले के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में [2]राजस्व एवं अन्य किसी अधिकारी के न्यायालय में कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नही की जावेगी जो कि इस अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना अपेक्षित हो ।

धारा 86. कुछ मामलों में रिसीवर की नियुक्ति- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधि में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी जहां कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है अथवा आरम्भ की जाती है-

(क) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से-

(i) किसी अचल सम्पत्ति जो कि वक्फ़ सम्पत्ति है के सिविल न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के निष्पादन में किये गये विक्रय को अपास्त करने के लिये;

(ii) किसी अचल सम्पत्ति जो कि मुतवल्ली द्वारा किये अन्तरण को अपास्त करने के लिये चाहे मूल्यवान प्रतिफल हो अथवा न हो, बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अथवा उसके अनुसार न होने पर;

(iii) खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में सन्दर्भित सम्पत्ति के आधिपत्य को प्राप्त करने के लिये अथवा सम्बन्धित वक्क के मुतवल्ली को ऐसी सम्पत्ति का आधिपत्य प्रतिस्थापित करने के लिए; अथवा

(ख) मुतवल्ली द्वारा अचल सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करना । अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है जो पूर्व मुतवल्ली [2]या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफल पर या इसके बिना, बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अथवा इससे भिन्न अन्तरित की गई है एवं प्रतिवादी के आधिपत्य में है,

न्यायालय वादी के आवेदन पर ऐसे सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है एवं ऐसे रिसीवर की सम्पत्ति की आय में से ऐसी राशि जो न्यायालय वाद के अन्य संचालन के लिये

आवश्यक समझता है, समय समय पर, वादी को भुगतान करने का निर्देश दे सकता है ।

धारा 87. अपंजीकृत वक्फ़ की ओर से अधिकार प्रवर्तन का वर्जन- [3][***]

धारा 88. किसी अधिसूचना आदि को चुनौती देने का वर्जन- इस अधिनियम में व्यक्त रूप से अन्यथा प्रावधानित के सिवाय, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत किसी अधिसूचना अथवा आदेश अथवा निर्णय को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

धारा 89. बोर्ड के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा वाद का सूचना पत्र- इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अनुसारण में किये जाने वाले किसी कृत्य के सम्बन्ध में बोर्ड के विरुद्ध कोई बाद संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि 2 आगामी माह को समाप्त होने वाली अवधि लिखित में सूचना-पत्र बाद कारण, वादी का नाम, विवरण, एवं निवास स्थान एव अनुतोष जो वह दावित करता है दर्शाते हुए न दे दिया गया हो अथवा बोर्ड के कार्यालय में न छोड़ दिया गया हो एवं वाद-पत्र में ऐसे सूचना-पत्र के दिये जाने अथवा छोड़े जाने का कथन अन्तर्निहित होगा ।

धारा 90. वादी आदि को न्यायालय द्वारा सूचना- (1) वक्फ़ सम्पत्ति के स्वत्व अथवा आधिपत्य अथवा मुतवल्ली अथवा हिताधिकारी के अधिकार से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही अथवा वाद में न्यायालय अथवा अधिकरण ऐसे वाद अथवा कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्षकार की लागत पर बोर्ड को सूचना जारी करेगा।

(2) जब कभी कोई वक्फ़ सम्पत्ति सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय किसी राजस्व उपकर, दरें अथवा दरों की वसूली के लिए विक्रय के रूप में अधिसूचित की जाती है तो न्यायालय, कलेक्टर, अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके आदेश के अधीन विक्रय अधिसूचित किया गया है सूचना बोर्ड खो दी जायेगी ।

(3) उप-धारा (1) के अन्तर्गत सूचना के अभाव में वाद अथवा कार्यवाही में पारित कोई डिक्री अथवा आदेश शून्य घोषित किया जावेगा यदि बोर्ड ऐसे वाद अथवा कार्यवाही की जानकारी मिलने पर [2]छः माह के भीतर इस बाबत न्यायालय को आवेदन करता है ।

(4) उप-धारा (2) के अन्तर्गत सूचना-पत्र के अभाव में विक्रय शून्य घोषित किया जावेगा यदि बोर्ड विक्रय की जानकारी मिलने पर एक माह के भीतर न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी जिसके आदेश के अधीन ऐसा विक्रय किया गया हो इस बाबत आवेदन करता है ।

धारा 91. 1984 के अधिनियम 1 के अधीन कार्यवाही- (1) यदि भूमि अर्जन या दूसरी सम्पत्ति से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के अनुक्रम में एवं अधिनिर्णय के पारित किये जाने के पूर्व [3]मामले में सम्पत्ति अर्जन के अधीन कोई सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है, तो ऐसे अर्जन की एक सूचना नोटिस की तामील बोर्ड पर कलेक्टर द्वारा की जायेगी और अग्रिम कार्यवाही बोर्ड को हाजिर होने के लिए और इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति की तिथि से तीन महिने के भीतर किसी भी कार्यवाही के समय कार्यवाही का एक पक्षकार होने के रूप में अभिवचन करने के लिए समर्थ बताने के लिए स्थगित कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के पूर्व गामी उपबंधों में कलेक्टर को संदर्भ, उसमे निर्देशित किसी अन्य विधि के सम्बन्ध में नहीं लगाया जाएगा, यदि कलेक्टर ऐसा अधिनिर्णय करने के लिए सक्षम ऐसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकार के एक निर्देश होने के रूप में, उसके अधीन भूमि या अन्य सम्पत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर या अन्य रकम का एक अधिनिर्णय करने के लिए ऐसी अन्य विधि के अधीन, सक्षम प्राधिकारी नहीं होता है ।

(2) जहाँ, बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि अर्जन के अधीन कोई भी

सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है, वहां यह किसी भी समय कार्यवाही के पक्षकार के रूप में, अधिनिर्णय के पारित किये जाने के पहले हाजिर हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा ।

(3) जब बोर्ड उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन हाजिर हो चुके है, तब कोई भी आदेश, सुनवाई किये जाने के लिए बोर्ड को एक अवसर प्रदान किये बिना, ही, उप-धारा (1) में निर्देशित या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 31 या 32 के अधीन या अन्य विधि के तत्संवादी उपबंधों के अधीन नहीं पारित किया जायेगा ।

(4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या उप-धारा (1) में निर्देशित अन्य विधि के तत्संवादी उपबंधों के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश बोर्ड को सुनवाई किये जाने का अवसर प्रदान किये बगैर शून्य घोषित कर दिया जायेगा, बोर्ड, आदेश की जानकारी होने के एक महीने के भीतर, इसकी ओर से उस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करता है जिसने आदेश पारित किया ।

धारा 92. वाद या कार्यवाही में बोर्ड को पक्षकार बनाया जाना- वक्फ़ अथवा किसी वक्फ़ सम्पत्ति विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड उपस्थित हो सकता है एवं वाद या कार्यवाही में पक्षकार के रूप में अभिवाक कर सकता है ।

धारा 93. मुतवल्ली द्वारा अथवा इसके विरुद्ध वादों में समझौते का वर्जन- वक्फ़ सम्पत्ति के स्वत्व के सम्बन्ध में अथवा मुतवल्ली के अधिकारों के सम्बन्ध में मुतवल्ली द्वारा अथवा मुतवल्ली के विरुद्ध किसी न्यायालय में बाद या कार्यवाही में बोर्ड की अनुज्ञा के बिना समझौता नहीं किया जावेगा ।

धारा 94. मुतवल्ली द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के मामले में न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति- (1) जहाँ मुतवल्ली किसी कार्य को करने जो कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पवित्र, धार्मिक, खैराती योग्य है को करने के लिए आबद्ध है एवं मुतवल्ली ऐसे कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, बोर्ड न्यायालय को ऐसे आदेश के लिये आवेदन कर सकेगा जो मुतवल्ली को बोर्ड को अथवा बोर्ड दास इस बाबत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक राशि भुगतान करने को निर्देशित करता हो ।

(2) जहाँ मुतवल्ली वक्फ़ के अन्तर्गत अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्यों के निर्वहन के लिये दायित्वाधीन है एवं मुतवल्ली जानबूझकर ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है बोर्ड अथवा वक्फ़ में हितबद्ध अन्य कोई व्यक्ति न्यायालय को आवेदन कर सकेगा एवं न्यायालय इस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो यह उचित समझता है ।

धारा 95. विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अपील ग्रहण करने की अपील प्राधिकारी की शक्ति- जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, अपीलीय प्राधिकारी यदि इसकी यह संतुष्टि हो जाती है कि अपीलांट ऐसी विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने में समुचित कारणवश वंचित हो गया था कथित अवधि समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

अध्याय-IX
विविध

धारा 96. वक्फ़ की पंथ निरपेक्ष गतिविधियां विनियमित करने की केन्द्र की शक्तियाँ- (1) वक्फ़ों की पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार निम्नानुसार शक्तियां एवं कृत्य करेगी, नामत : -

(क) वक्फ़ प्रशासन के सामान्य सिद्धान्त एवं नीतियों को जहां तक वे वक्फ़ों की पंथ निरपेक्ष गतिविधियों से सम्बन्धित है अधिकथित करना;

(ख) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद और बोर्ड के कृत्यों जहां तक वे पंथ निरपेक्ष कृत्यों से सम्बन्धित है समन्वय करना;

(ग) वक्फ़ों की पंथ निरपेक्ष गतिविधियों का सामान्य तौर पर प्रशासनिक पुनर्विलोकन करना एवं सुधारों को, यदि कोई हो, सुझावित करना ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत इसकी शक्तियों व कार्यो का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार किसी बोर्ड से किसी अवधि बाबत अथवा अन्य रिपोर्ट मांग सकेगी एवं बोर्ड को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो उचित समझती है एवं बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "धर्मनिरपेक्ष क्रिया- कलापों" में सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवम् अन्य कल्याण सम्बन्धि क्रिया-कलाप सम्मिलित होंगे ।

धारा 97. राज्य सरकार द्वारा निर्देश- धारा 96 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विषयाधीन रहते हुए राज्य सरकार समय-समय पर बोर्ड को ऐसे सामान्य अथवा विशेष निर्देश जो राज्य सरकार उचित समझती है दे सकेगी एवं बोर्ड अपने कार्यो को पूरा करने में ऐसे निर्देशों का पालन करेगा ।

[2]परन्तु यह कि राज्यशासन द्वारा वक्फ़नामा या किसी आचरण (usage) साम्प्रदायिक रीति (Practice) या प्रथा (custom) के विपरीत निर्देश नहीं दिए जा सकेंगे ।"

धारा 98. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट- वितीय वर्ष समाप्त होने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार राज्य वक्क बोर्ड के प्रशासन एवं कार्य शैली एव राज्य में वर्ष के दौरान वक्फ़ों के प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जावेगी एव राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जावेगी जहाँ यह दो सदन रखती है अथवा जहाँ ऐसा विधान मण्डल एक सदन रखती है ऐसे सदन के समक्ष एवं प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट ऐसे रूप में एवं ऐसे विषयों को अन्तर्निहित करेगी जो विहित किये जावें ।

धारा 99. बोर्ड को अधिक्रान्त करने की शक्ति- (1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बोर्ड, कोई काम करने में असमर्थ है या इसके द्वारा अधिरोपित किये गये कर्त्तव्य के अनुपालन में बार-बार अतिक्रमण किया है, या अधिनियम के अधीन या इसकी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या दुरुपयोग किया गया है, या जानबूझकर और पर्याप्त कारण के बिना धारा 96 के अधीन या धारा 97 के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में असफल हो गया है, या यदि राज्य सरकार को वार्षिक निरीक्षण के पश्चात् भेजी गयी किसी भी रिपोर्ट पर विचारण रने पर यह समाधान हो जाता है, कि बोर्ड की निरंतरता राज्य में वक्फ़ के हित के लिए खतरनाक होने वाली है, तो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, छः महीनों से अधिक न होने वाली एक कालावधि के लिए बोर्ड का अधिक्रान्त कर सकती है :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना को जारी करने के पहले, राज्य सरकार बोर्ड को यह कारण प्रदर्शित करने के लिए एक उचित समय देगा कि क्यों इसका अधिक्रांत किया जाना चाहिए और बोर्ड के स्पष्टीकरणों एवम् आक्षेपों यदि कोई हो, पर विचार करेगा ।

[1]"परन्तु आगे यह कि जब तक आर्थिक अनियमितताओं. दुराचरण या इस अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं हो तब तक राज्य शासन द्वारा इस धारा में निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगी ।"

(2) उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर-

(क) बोर्ड के सभी सदस्यगण, अधिक्रान्त की तिथि से, इस प्रकार के सदस्यों के रूप में उनके

कार्यालय को रिक्त कर देगा;

(ख) सभी शक्तियाँ और कर्त्तव्यों जिनका इस अधिनियम के सभी उपबंधों के अधीन या के द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा या अनुपालन किया जा सकेगा या बोर्ड की ओर से अधिक्रान्त की कालावधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों दास प्रयोग किया जायेगा या अनुपालन किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे; और

(ग) बोर्ड में निहित सभी सम्पत्ति, राज्य सरकार में अधिक्रमण की कालावधि के दौरान निहित हो जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गये अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी अधिक्रमण की कालावधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार-

[2](क) अधिक्रमण की कालावधि में अन्य छ: माह की वृद्धि तदर्थ कारण को लिखित करते हुए कर सकती है एवं सतत अधिक्रमण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी, या

(ख) धारा 14 में उपबंधित ढंग से बोर्ड का पुन:गठन कर सकेगी ।

धारा 100. सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण- बोर्ड अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सर्वेक्षण अयुक्त अथवा किसी वाद के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्यक् रूप से नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सद्भाविक तौर पर की गई है अथवा किया जाना आशयित रही है बाबत कोई वाद अथवा विधि कार्यवाही नहीं होगी ।

धारा 101. बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्त, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होने के रूप में समझा जाना- (1) बोर्ड के सर्वेक्षण आयुक्त, सदस्य गण, प्रत्येक अधिकारी, इस अधिनियम या कोई नियम या उसके अधीन पारित किये गये आदेश द्वारा उसके द्वारा अधिरोपित किये गये किसी कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किये गये हर दूसरे किसी व्यक्ति और बोर्ड के प्रत्येक लेखा परीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक होने के रूप में समझा जायेगा ।

(2) वक्फ़ का प्रत्येक मुतवल्ली, प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह बोर्ड द्वारा या वक्फ़ के किसी विलेख के अदीन गठित किया गया हो, प्रत्येक कार्य पालक अधिकारी और बस्फ में किसी कार्यालय या पद को धारण करने वाला प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर एक लोक सेवक होने के रूप में समझा जायेगा ।

धारा 102. कुछ बोर्डो के पुर्नगठन के लिये विशेष प्रावधान- (1) राज्यों के पुनर्गठन के कारण (राज्यों के पुनर्गठन प्रावधानित करने वाली किसी विधि के अन्तर्गत) जहाँ किसी राज्य का सम्पूर्ण अथवा किसी भाग जिसके सम्बन्ध में बोर्ड (ऐसे पुनर्गठन की दिनांक के ठीक पूर्व) कार्यरत था उस दिनांक को अन्य राज्य में ऐसे अन्तरण के कारण अन्तरित हो गया हो, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भाग में जो बोर्ड कार्य कर रहा है वह बोर्ड विघटित किया जाना चाहिये अथवा (इसे अन्तर्राज्यीय बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए) उस राज्य के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के लिये राज्य सरकार ऐसे विघटन अथवा पुनर्गठन बोर्ड की सम्पत्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों को अन्य किसी बोर्ड अथवा राज्य सरकार की अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए योजना बना सकेगी एवं योजना को केन्द्र सरकोर को अग्रेषित कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत अग्रेषित स्कीम के प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित [2]परिषद एवं राज्य सरकारों से सलाह लेने के उपरांत संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के स्कीम

को अनुमोदित कर सकेगी एवं ऐसी अनुमोदित स्कीम को ऐसा आदेश देकर जो यह उचित समझती है, प्रभाव देगी ।

(3) उप- धारा (2) के अन्तर्गत आदेश निम्नानुसार विषयों में से सभी अथवा किसी को प्रावधानिक करेगा, नामत: -

(क) बोर्ड के विघटन;

(ख) किसी रीति में. चाहे वह कुछ भी हो बोर्ड का पुनर्गठन स्थापना सम्मिलित करते हुये जहाँ नया बोर्ड आवश्यक हो;

(ग) क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में पुनर्गठित बोर्ड अथवा नया बोर्ड कार्य करेगा एवं क्रियाशील होगा;

(घ) बोर्ड की सम्पत्तियों, अधिकारों, दायित्वों (इसके द्वारा किसी संविदा के अन्तर्गत अधिकारों एवं दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) को अंशत: अथवा भागत: अन्य बोर्ड अथवा राज्य सरकार को अन्तरित करना एवं ऐसे अन्तरण की शर्ते व निर्बन्धन;

(ङ) बोर्ड के लिये ऐसे अन्तरिती अथवा ऐसा अन्तरिती के अलावा किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें बोर्ड पक्षकार है प्रतिस्थापित करना एवं बोर्ड के समक्ष ऐसे अन्तरिती की किसी कार्यवाही को अन्तरित करना;

(च) बोर्ड के किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण अथवा पुनर्नियोजन, सम्बन्धित राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी विधि के प्रावधानों के विषयाधीन रहते हुए ऐसे अन्तरिती द्वारा अथवा ऐसे अन्तरिती को करना, ऐसे स्थानान्तरण अथवा पुनर्नियोजन के उपरांत ऐसे कर्मचारियों को प्रयोज्य सेवा शर्ते व निर्बन्धन; तथा

(छ) ऐसे आकस्मिक आनुषंगिक एवं पूरक विषय जो अनुमोदित स्कीम को प्रभाव देने के लिये आवश्यक हो सकते है|

(4) जहाँ इस धारा के अन्तर्गत किसी बोर्ड की सम्पत्ति, अधिकारों एवं दायित्वों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया जाता है तब उस आदेश के द्वारा ऐसी बोर्ड की सम्पत्ति, अधिकार एवं दायित्व अन्तरिती में निहित होंगे व उसकी सम्पत्ति, अधिकार व दायित्व हो जावेंगे ।

(5) इस धारा के अन्तर्गत किया जाने वाला प्रत्येक आदेश शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत निर्मित प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र रखा जावेगा ।

धारा 103. राज्य के भाग में बोर्ड की स्थापना के लिये विशेष प्रावधान- (1) जहाँ किसी राज्य के पुनर्गठन को प्रावधान करने वाली किसी विधि के द्वारा क्षेत्रीय के किसी भाग अथवा यह अधिनियम उस दिनांक से जिसको वह विधि प्रभावी होती है राज्य के किसी भाग अथवा भागों मात्र में प्रयोज्य है परन्तु शेष भाग के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं किया गया है तो अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिये ऐसे भाग में एक या अधिक बोर्ड स्थापित करना विधिपूर्ण होगा एवं ऐसे मामले में बोर्ड के सम्बन्ध में शब्द "राज्य" का इस अधिनियम में सन्दर्भ राज्य के उस भाग जिसमें बोर्ड स्थापित किया गया है के प्रति सन्दर्भ के रूप में अर्थान्वयन होगा ।

(2) जहाँ कोई बोर्ड स्थापित किया गया है एवं राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण राज्य के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये, राज्य सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य के भाग के सम्बन्ध में स्थापित बोर्ड को विघटित कर सकेगी अथवा

ऐसे बोर्ड को पुन: गठन एव पुनर्गठित कर सकेगी अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिये नया बोर्ड स्थापित कर सकेगी एवं इस पर राज्य के भाग के बोर्ड की सम्पत्ति, अधिकार एवं दायित्व निहित होंगे एवं पुनर्गठित बोर्ड अथवा नये बोर्ड जैसा भी मामला हो, की सम्पत्ति, अधिकार एवं दायित्व होंगे ।

धारा 104. किसी वक्फ़ के समर्थन के लिये गैर इस्लामी व्यक्ति द्वारा दी गई अथवा दान दी गई सम्पत्ति पर अधिनियम की प्रयोज्यता- इस अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति गैर इस्लामी व्यक्ति द्वारा इन होने वाले वक्फ़ के समर्थन के लिये दी जाती है अथवा दान की जाती है-

(क) मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानगाह अथवा मकबरा;

(ख) मुस्लिम कब्रिस्तान;

(ग) चावड़ी अथवा मुसाफिर खाना,

तो ऐसी सम्पत्ति वक्फ़ में समाहित होना समझी जावेगी एवं ऐसे वक्फ़ जिसमें यह समाहित की गई है की रीति के अधीन व्यहृत की जावेगी ।

[2]**वक्फ़ सम्पत्ति के विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण का निषेध-**

104क. (1) इस अधिनियम या अन्य किसी विधि या किसी वक्फ़नामा में तत्समग प्रवृत्त किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी चल-अचल सम्पत्ति जो वक्फ़-सम्पत्ति है, ऐसी सम्पत्ति का विक्रय, दान, विनिमय, बधक या अंतरण नहीं किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में सन्दर्भित विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण प्रारम्भतः शून्य होंगे ।

104ख. शासकीय अभिकताओं के अधिपत्य की वक्फ़ सम्पत्तियों का वक्फ़-मंडल में पूर्वावस्था को प्राप्त कराया जाना :

(1) यदि किसी वक्फ़ सम्पत्ति पर शासकीय अभिकर्ताओं ने अधिपत्य कर रखा है तो ऐसी सम्पत्ति को मंडल या मुतवल्ली को अभिकरण के आदेश- दिनांक से छः मास की अवधि उनकी पूर्ण अवस्था में प्राप्त कराया जावेगा ।

(2) यदि ऐसी सम्पत्ति की शासकीय अभिकर्ता को लोक-उद्देश्य हेतु अपेक्षा है; तो ऐसी एजेंसी अभिकरण को उसका किराया प्रचलित बाजार दर अनुसार किया या जैसा भी मामला हो, क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु आवेदन दे सकती है |"

धारा 105. दस्तावेजों आदि की प्रति- लिपियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां- तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी बोर्ड अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति से जो वक्क अथवा कोई अचल सम्पत्ति जो वक्फ़ सम्पत्ति है से सम्बन्धित कोई अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेज की अभिरक्षा, रजिस्टर, रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेज की अभिरक्षा रखता है से आवश्यक लागत का भुगतान करने के विषयाधीन रहते हुए इसकी प्रतिलिपियाँ अथवा ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट अथवा दस्तावेज से कोई अंश जिसकी मांग की गई है व्यवहारिक तौर पर जैसे यथासम्भव हो बोर्ड अथवा मुख्य कार्यपाल अधिकारी को आपेक्षित, अभिलेख, रजिस्टर. रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ अथवा अंश प्रस्तुत करेगा ।

धारा 106. कामन बोर्ड गठन की केन्द्र सरकार की शक्ति- (1) जहाँ केन्द्र सरकार इस कारण से सन्तुष्ट हो जाती है कि: -

(i) दो या अधिक राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की अल्पता,

(ii) ऐसे राज्यों में वक्क के कमजोर स्त्रोत, तथा

(iii) ऐसे राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या एवं वक्फ़ों की आय एवं संख्या के मध्य अनुपात,

ऐसे राज्यों की मुस्लिम जनसंख्या एवं राज्यों के वक्कों के हित में ऐसे प्रत्येक राज्य के लिये प्रथम बोर्ड की बजाय एक कामन बोर्ड होना समीचीन होगा तो यह ऐसे सम्बन्धित [2]परिषद एवं राज्यों की सरकार से सलाह करने के उपरान्त शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्यों में जिसमें यह उचित समझे कामन बोर्ड की स्थापना कर सकती है एवं इसी अथवा अन्य पश्चात्वती अधिसूचना द्वारा ऐसे कामन बोर्ड के मुख्य कार्यालय स्थल कहाँ स्थित होगा उस स्थल को विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित कामन बोर्ड व्यवहारिक तौर पर सम्भव धारा 14 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (7) जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को समाहित करेगा ।

(3) जब उप-धारा (1) के अन्तर्गत कोई कामन बोर्ड स्थापित किया जाता है-

(क) वक्फ़ विलेख अथवा वक्फ़ों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार में निहित सभी शक्तियाँ स्थानान्तरित हो जावेंगी एवं केन्द्रीय सरकार में निहित हो जावेंगी एवं इस पर वक्फ़ विलेख अथवा विधि में राज्य सरकार के सन्दर्भो को केन्द्र सरकार के सन्दभों के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा :

परन्तु दो या अधिक राज्यों में कामन बोर्ड की स्थापना के दौरान केन्द्र सरकार आश्वस्त होगी कि प्रत्येक सम्बन्धित राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य के रूप मे सम्मिलित किया जावे।

(ख) इस अधिनियम में राज्य सन्दर्भो का ऐसे प्रत्येक राज्यों के सन्दर्भ जिनके लिये कामन बोर्ड स्थापित किया गया है के सन्दर्भ के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा ।

(ग) केन्द्र सरकार राज्य में बोर्ड को प्रयोज्य किसी नियम पर प्रतिकूलता डाले बिना राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा कामन बोर्ड के द्वारा संचालित व्यवसाय एवं कार्य-कलापों को विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी ।

(4) कामन बोर्ड एक राज्य तक सीमित न होने वाले उद्देश्यों सहित, स्थायी उत्तराधिकार एवं कामन सील, सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने एवं ऐसी सम्पत्ति को अन्तरित करने की शक्ति रखने वाले केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो एवं निर्बन्धनों के विषयाधीन एक कानूनी निकाय होगा एवं कथित नाम से वाद ला सकेगा या वाद लाया जा सकेगा ।

धारा 107. वक्फ़ की सम्पत्ति की वसूली के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना- परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) में अन्तर्विष्ट की गयी कोई भी बात ऐसी सम्पत्ति में किसी भी हित के कब्जे के लिए या किसी वक्फ़ में समाविष्ट की गयी अचल सम्पत्ति के कब्जे के लिए किसी भी वाद के प्रति लागू नहीं होगी ।

धारा 108. वक्फ़ सम्पत्ति बाबत विशेष प्रावधान- इस अधिनियम के प्रावधान निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा के खण्ड (च) के आशय के लिये किसी निष्ठान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो ऐसी निकान्त सम्पत्ति होने के पूर्व किसी वक्फ़ में समाहित सम्पत्ति थी प्रयोज्य होंगे एवं विशिष्टत: किसी (चाहे किसी दस्तावेज के अन्तरण करा अथवा अन्य किसी रीति में एव चाहे सामान्य अथवा किसी विशिष्ट-प्रयोजन के लिये) ऐसी सम्पत्ति को बोर्ड की इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अन्तर्गत कस्टोडियन के निर्देश के अनुसरण में न्यसित होने पर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान में किसी अन्य बात के होते भी, सदैव ऐसा समझा जावेगा एवं ऐसा प्रभाव होगा मानों ऐसा न्यसन क्रियाशील किया गया था-

(क) निष्क्रान्त संपत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिये ऐसी सम्पत्ति ऐसे बोर्ड में ऐसी सम्पत्ति के न्यासी के रूप में प्रभावी व समान रीति में, ऐसे न्यसन की दिनांक से प्रवाही होने वाली, निहित होगी, एवं

(ख) ऐसे बोर्ड को सम्बन्धित वक्फ़ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध जहाँ तक यह आवश्यक समझा जावे होने को अधिकृत करना ।

[2]**108(क)** इस अधिनियम के प्रावधान का प्रभाव अधिभावी (over-riding) प्रभाव होगा जो किसी तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधि में अन्तर्निहित प्रावधानों से असम्बद्ध (inconsistent) हो या इस अधिनियम के सिवाय किसी विधि से मान्यता प्राब्ध लिखतम में प्राव्रधानों पर भी होगा ।"

धारा 109. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष III के उन सभी से भिन्न, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशेष तौर पर और आगामी शक्तियों की व्यापकता के प्रतिकूल के हुए बिना ही ऐसे नियम, निम्नलिखित मुद्दों में किसी के लिए या सभी के लिए प्रावधान कर सकेंगे, नामत: -

[3](i) धारा (3) के खंड (i) अन्तर्गत मुतवल्ली की नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षित योग्यताएँ.

(i-क) धारा (4) की उपधारा (3) के खंड (च) अंतर्गत अन्य विवरण जो सर्वेक्षण-आयुक्त के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जा सकेंगे;

(ii) धारा 4 की उप-धारा 4 के खण्ड (च) के अधीन कोई दूसरा मुद्दा;

(iii) विशिष्टियाँ जिन्हें धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकाशित की गयी एक वक्फ़ सूची अन्तर्विष्ट कर सकेगी;

(iv) धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन एक एकल अंतरणीय मत के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का ढंग;

(v) धारा 23 की उप- धारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपाल अधिकारी के सेवा की कालावधि एवम् शर्तें;

(vi) शर्तो और प्रतिबन्धों जिसके अध्यधीन रहते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी किसी सार्वजनिक कार्यालय का [2]धारा 29 (1) के अधीन अभिलेखों या रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा;

[3](vi-क) धारा 31 की उपधारा (2) अंतर्गत वक्फ़ सम्पत्ति से संबंधित लिखतमों को मुतवल्ली या

अन्य किसी वयक्ति द्वारा जिस अवधि के दौरान प्रस्तुत कर सकेंगे;

(vi-ख) धारा 31 की उपधारा (3) अंतर्गत अभिलेखों, पंजियों एवं अन्य लिखतमों की प्रतियों को शासन

या किसी अन्य संगठन जिन शतों के अधीन प्रदाय किया जा सकेगा;

(vii) शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समर्थकारी कर्मचारी स्टाफ

की नियुक्ति, धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन की जा सकेगी;

(viii) ढंग जिसमें जाँच को धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की

जा सकेगी;

(ix) प्रारूप, और समय जिसके भीतर बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन वक्फों के लिए एक पृथक बजट धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया जायेगा;

(x) अन्तराल जिसमें वक़्फ़ के लेखों की संपरीक्षा धारा 47 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार में किया जा सकेगा;

(xi) [2][Omitted]

(xii) मार्ग दर्शन जिसके अध्यधीन रहते हुए कलेक्टर धारा 52 के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अंतरित की गयी सम्पत्ति की वसूली करेगा;

(xiii) धारा 54 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी नोटिस की तामील के ढंग और ढंग जिसमें कोई जाँच उस धारा की उप-धारा (3) के अधीन की जानी है;

(xiv) ढंग जिसमें कोई जाँच, धारा 64 या धारा 71 के अधीन की जा सकेगी;

(xv) अन्य मुद्दे जिन्हें धारा 65 की उप- धारा (3) के प्रेषित की गयी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाय;

(xvi) धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश के प्रकाशन का ढंग;

(xvii) ढंग जिसमें धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन मुतवल्ली से परामर्श किया जा सकेगा;

(xviii) धारा 69 की उप-धारा (3) के अधीन किये गये आदेश का ढग;

(xix) दर जिस पर अंशदान, धारा 72 के अधीन एक मुतवल्ली द्वारा किया जाना होता है;

(xx) वक्फ़ निधि में दत्त क संदाय विनिधान, अभिरक्षा तथा धारा 77 के अधीन ऐसे धन का संवितरण;

(xxi) प्रारूप जिसमें, और समय जिसके भीतर बोर्ड का बजट तैयार किया जा सकेगा और धारा 78 के अधीन प्रेषित किया जा सकेगा;

(xxii) समय जिसके भीतर धारा 83 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकरण को प्रार्थना-पत्र दिया जाना है;

[2](xxii-a) धारा (83) की उपधारा (4-क अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य, जो पदेन सदस्यों से अलग होंगे;

नियुक्ति की शर्ते उनके वतेन एवं भत्तों को सम्मिलित करते हुए,"

(xxiii) प्रक्रिया जिसका धारा 83 की उप-धारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण दिया जायेगा;

(xxiv) प्रारूप जिसमें वार्षिक रिपोर्ट को पेश किया जाना होता है और मुद्दे जिन्हें धारा 98 के अधीन अन्तर्विष्ट करेगा; और

(xxv) कोई अन्य मुद्दा जिसकी अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय ।

110. बोर्ड द्वारा विनियम बनाने की शक्ति- (1) बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों से असंगत न होने वाले विनियमों को इस अधिनियम के अन्तर्गत इसके कार्यो को करने के लिए बना सकेगा।

(2) विशेषत: एवं पूर्व की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमतिकरण द्वारा निम्न विषयों पर अथवो उनमें से किसी पर प्रावधान होंगे-

(क) धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड की मीटिंग का स्थल एव समय।

(ख) बोर्ड की मीटिंग में कामकाज संचालन एवं प्रक्रिया।

(ग) बोर्ड एवं कमेटी का गठन एवं कार्य एव ऐसी कमेटी के मीटिंग संव्यवहार हेतु प्रक्रिया।

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्यों अथवा कमेटी के सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले भत्ते अथवा

शुल्क|

(ड) धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

एवं दशाएं।

(च) धारा 36 की उप-धारा (3) के अधीन वक्फ के पंजीकरण के आवेदन का प्रारूप, इसमें अन्तर्निहित

किये जाने वाले अन्य विवरण एव रीति एव वक्क के पंजीकरण का स्थल|

(छ) धारा 37 के अधीन वक्फ रजिस्टर में अन्तर्निहित किये जाने वाले अन्य विवरण।

(ज) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारूप जिसमें एवं समय जिसके भीतर वक्फों का बजट

मुतवल्ली द्वारा तैयार किया जा सकता है एवं प्रस्तुत किया जा सकता है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित

किया जा सकता है।

(झ) धारा 79 के अधीन बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले खाते एवं अन्य पुस्तकें।

(त्र) बोर्ड की कार्यवाही, इनके अभिलेख, निरीक्षण अथवा इनकी प्रतियां जारी करने के लिए भुगतान योग्य शुल्क।

(ट) व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड का आदेश अथवा निर्णय अधिप्रमाणित किया जा सकता है; और

(ठ) अन्य कोई विषय जो विनियमों तारा विहित करना है या किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए सभी विनियम शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित किए जायेंगे एव ऐसे विनियम ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

धारा 111. राज्य विधान मण्डल के समक्ष नियमों और विनियमनों का रखना- धारा 109 के अधीन निर्मित किये गये हर एक नियम और धारा 110 के अधीन निर्मित किया गया हर एक विनियमन इसके बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

धारा 112. निरसन और व्यावृतियाँ- (1) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 69) का एतद् निरसन कर दिया जाता है।

(2) ऐसी निरसन इतना होते हुए भी, कथित अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्संवादी उपबंधों के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्यवाही समझा जायेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पहले किसी भी राज्य में, यह उस राज्य में प्रभावी है, कोई भी विधि जो इस अधिनियम के समरूप संव्यवहार करती है। वह तत्स्थानी विधि निरसित हो जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार का निरसन, उस तत्स्थानी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा और उसके अध्यधीन रहते हुए, प्रदत्त की गयी किसी भी शक्ति के प्रयोग में या तत्स्थानी विधि के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्यवाही, प्रदत्त की गयी शक्तियों के प्रयोग में या इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या कार्यवाही समझा जायेगा जैसे कि वह अधिनियम उस दिन

प्रवर्तनीय था जिस दिन ऐसी बातें या कार्यवाही की गयी थी।

धारा 113. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-** (1) यदि कोई कठिनाई, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली बनाने में उद्‌भूत होती है; तो केन्द्र सरकार इस अधिनियम के असंगत न होने वाले आदेश द्‌वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु, ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षो की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इतने पर भी, इस धारा के अधीन किया गया आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- - - - - - - - - -